इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026–फाल्गुन 1, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, अनन्या तिवारी पिता प्रणय तिवारी, निवासी– गली नं. 2, शिक्षक कॉलोनी, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.). मेरा पुराना नाम अनन्या कंगना तिवारी पिता प्रणय तिवारी था. अनन्या तिवारी एवं अनन्या कंगना तिवारी यह दोनों नाम मेरे ही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नये नाम अनन्या तिवारी पिता प्रणय तिवारी के नाम से ही जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(अनन्या तिवारी)

पिता– प्रणय तिवारी

निवासी– 2 टीचर कॉलोनी, सिवनी मालवा,

जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.).

(G-1438)

नाम परिवर्तन

मैं, जसवंत चौहान पिता गिरधारीलाल चौहान, निवासी– घाटाबिल्लोद चौकी, जनपद पंचायत, देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरा निर्वाचन कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र में सही नाम जसवंत चौहान दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश यशवंतसिंह चौहान नाम अंकित हो गया है, जो गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे जसवंत चौहान के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(यशवंतसिंह चौहान)

नया नाम

(जसवंत चौहान).

(G-1439)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम चन्द्रवर्धन राजावत (CHANDRAVARDHAN RAJAWAT) पिता रणजीत राजावत, निवासी–ग्राम एकलदुना, (दिग्ठान), तहसील धार, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम चन्द्रवर्धन राजावत दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश गौरव राजावत अंकित हो गया है, जो गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम चन्द्रवर्धन राजावत है, उसे भविष्य में इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जाये.

आवेदक

(रणजीत राजावत).

(G-1440)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम पूजा मोर्य (POOJA MORYA) पति स्व. राजेश मोर्य है एवं मेरे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता परिचय–पत्र में मेरा उपनाम अंग्रेजी में MORYA के स्थान पर MOURYA दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पूजा मोर्य (POOJA MORYA) पति स्व. राजेश मोर्य के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पूजा मोर्य)

(POOJA MOURYA)

नया नाम

(पूजा मोर्य)

(POOJA MORYA).

(G-1441)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम नक्ष चोंगड (NAKSHA CHONGAD) है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, एवं मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नक्ष चोगड के स्थान पर नशया (NASYA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में पुत्र को सही नाम नक्ष चोंगड (NAKSH CHONGAD) पिता रविन्द्र सिंह चोंगड के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रविन्द्र सिंह चोंगड़).

(G-1442)

नाम परिवर्तन

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम देवीलाल पाटीदार (DEVILAL PATIDAR) पिता शंकरलाल है. जैसे आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम देवकरण पाटीदार (DEVKARAN PATIDAR) है, पंचायत रिकार्ड में उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे देवकरण पाटीदार (DEVKARAN PATIDAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(देवीलाल पाटीदार)

नया नाम

(देवकरण पाटीदार)

निवासी– ग्राम महूखेड़ा, तहसील हाटपिपलिया,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-1443)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम जीविका यादव (JEEVIKA YADAV) पिता अशोक यादव, निवासी– ग्राम खेरोद, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम जीविका यादव दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश सानिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम जीविका यादव के नाम से जाना–पहचाना एवं सम्बोधित किया जावे.

आवेदक

(G-1444) **(अशोक यादव).**

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित प्रसाद दाहिया पिता श्री अमृतलाल दाहिया, निवासी–ग्राम कुशवार, तहसील व थाना सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.). मेरी पुत्री के शैक्षणिक अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी., आय प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तोवजों में नाम मान्सी दाहिया लिखा है, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्री के आधार कार्ड में गलत नाम निकिता दाहिया के स्थान पर मान्सी दाहिया के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रोहित प्रसाद दाहिया)

पिता– श्री अमृतलाल दाहिया.

(G-1445)

नाम परिवर्तन

मैं, दमयन्ती पति श्री भगवत सिंह कुशवाहा, निवासी– ग्राम पो. सोहागपुर, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश देवंती बाई कुशवाहा अंकित है, किन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम दमयन्ती दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम दमयन्ती के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(दमयन्ती)

(DAMAYANTI)

(G-1446) पति– श्री भगवत सिंह कुशवाहा.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम इन्द्रा योगी (INDRA YOGI) पिता धर्मनाथ योगी है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्रयविंग लाइसेंस और ई–श्रम कार्ड में इन्द्रा योगी के स्थान पर त्रुटिवश इन्दिरानाथ योगी (INDIRANATH YOGI) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरा सही नाम इन्द्रा योगी (INDRA YOGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(इन्दिरानाथ योगी)

(INDIRANATH YOGI)

नया नाम

(इन्द्रा योगी)

(INDRA YOGI).

(G-1447)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्रसिंह पिता विक्रमसिंह (MAHENDRA SINGH), निवासी– ग्राम रघुनाथपुरा, तह. सुवासरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.). पूर्व में मेरे पुत्र का नाम दस्तावेजों में मूल निवासी, शैक्षणिक संस्था में महेन्द्रसिंह दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड, एवं समग्र आई.डी. में नरेन्द्रसिंह तंवर नाम अंकित है. जिसके स्थान पर परिवर्तित करके महेन्द्रसिंह पिता विक्रमसिंह (MAHENDRA SINGH) घोषित किया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को महेन्द्रसिंह पिता विक्रमसिंह (MAHENDRA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1448) **(महेन्द्रसिंह).**

नाम परिवर्तन

मैं, चरण सिंह, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम आरूषी (AARUSHI) D/o. ईश्वर सिंह (ISHWAR SINGH) अभिभावक दिलीप सिंह (DILIP SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों तथा जन्म प्रमाण–पत्र में हसीना (HASINA) पिता ईश्वर सिंह (ISHWAR SINGH) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशत उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय, अर्द्धशासकिय, व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम हसीना (HASINA) पिता ईश्वर सिंह (ISHWAR SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ईश्वर सिंह)

(G-1449) (ISHWAR SINGH).

नाम परिवर्तन

मैं, चरण सिंह, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम रेखा (REKHA) पिता चरण सिंह (CHARAN SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों तथा जन्म प्रमाण–पत्र में वन्दना गुर्जर पिता चरण सिंह दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशत उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, व्यक्तिगत कार्यवाही दस्तावेजों में सही नाम वन्दना गुर्जर (VANDANA GURJAR) पिता चरण सिंह (CHARAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चरण सिंह)

(G-1450) (CHARAN SINGH).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम रहनुमा (RAHNUMA) है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम रेहनुमा खान (REHNUMA KHAN) त्रुटिवश अंकित है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम रहनुमा (RAHNUMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अकबर खान).

(G-1451)

नाम परिवर्तन

मैं, जोहरा बी उर्फ रशीदा बी पति छोटेखान, निवासी– छोटा ईमामवाड़ा, अकबरी मजिस्द के पास, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरा घर का प्रचलित नाम जोहरा बी तथा सही नाम रशीदा बी पति छोटेखान है, जो दोनों ही नाम मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त के मुझे मेरे सही नाम रशीदा बी के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जोहरा बी)	**(रशीदा बी).**

(G-1452)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम विकास राव (VIKAS RAO) पिता नीलकंठ राव (NEELKANTH RAO) था, जो कि अब बदलकर विकास राव कापूरे (VIKAS RAO KAPURE) पिता नीलकंठ राव कापूरे (NEELKANTH RAO KAPURE) हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विकास राव) (VIKAS RAO) पिता– नीलकंठ राव (NEELKANTH RAO)	**(विकास राव कापूरे)** (VIKAS RAO KAPURE) पिता– नीलकंठ राव कापूरे (NEELKANTH RAO KAPURE) पता– 890, कुल्याना मोहल्ला, आमनपुर, मदल महल, रानी दुर्गावती वार्ड 17, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-1453)

उपनाम परिवर्तन

मैं, खुशबु पाटकर, पिता सुबोध पाटकर, निवासी-- सर्रा पीपल, नई बस्ती, रांझी, थाना रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.) ने शासकीय एवं अन्य सभी कार्यों के लिये अपना नाम परिवर्तित कर खुशबु पटवा (KHUSHBU PATWA) पिता श्री सुबोध पटवा कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे खुशबु पटवा (KHUSHBU PATWA) पिता श्री सुबोध पटवा के नाम से ही जाना--पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खुशबु पाटकर)	**(खुशबु पटवा)** (KHUSHBU PATWA).

(G-1454)

नाम परिवर्तन

मैं, मो यासिर पुत्र जाबिर, निवासी–वार्ड नं. 15, खैरहा (सोहागपुर) तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम याशिद (Yashid) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम मो यासिर (Md Yasir) पुत्र जाबिर (Jabir) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं 10वीं की अंकसूची में भी अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम मो यासिर (Md Yasir) पुत्र जाबिर (Jabir) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(याशिद) (Yashid)	**(मो यासिर)** (Md Yasir) पुत्र– जाबिर (Jabir).

(G-1455)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता खरे (Sunita Khare) पत्नी अखिल खरे (Akhil Khare), निवासी–म.नं. डी–3, शालीमार गार्डन, कोलार रोड, नियर विशाल मेगामार्ट, भोपाल (म.प्र.). विवाह के पूर्व मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव (Sunita Srivastava)/(S. Srivastava) था एवं मेरे कुछ दस्तावेजों में भी यह नाम अंकित है. विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित होकर सुनीता खरे (Sunita Khare) हो गया है. उपरोक्त नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुनीता श्रीवास्तव)

(Sunita Srivastava)/(S. Srivastava)

नया नाम

(सुनीता खरे)

(Sunita Khare)

पत्नी– अखिल खरे

(Akhil Khare).

(G-1456)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमनारायण मीणा (Premnarayan Meena) आत्मज श्री हरिनारायण मेरा पुत्र अंश मीणा (Ansh Meena) है, उसके आधार कार्ड में उसका नाम अमित मीणा (Amit Meena) पुत्र प्रेमनारायण मीणा (Premnarayan Meena) दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम अंश मीणा (Ansh Meena) पुत्र प्रेमनारायण मीणा (Premnarayan Meena) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अंश मीणा (Ansh Meena) पुत्र प्रेमनारायण मीणा (Premnarayan Meena) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रेमनारायण मीणा)

(Premnarayan Meena)

पता– ग्राम दादरोद, पोस्ट चांदला खेड़ी,

तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-1457)

नाम परिवर्तन

मैं, क्षमा साहू पिता राजेन्द्र कुमार साहू, निवासी– ग्राम मेढ़ाखार माल, पोस्ट मेढ़ाखार, थाना करंजिया, तहसील करंजिया, तहसील बजाग, जिला डिण्डोरी (म.प्र.). मेरा सही नाम Kshma Sahu है, जो मेरे कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में अंकित है, जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम Kshma Sahu के स्थान पर त्रुटिवश Chama लिखा गया है, जो गलत है. मेरे गलत नाम Chama के स्थान पर सही नाम Kshma Sahu दर्ज किया जावे तथा यही नाम समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तवेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(Chama)

नया नाम

(क्षमा साहू)

(Kshma Sahu)

पिता– राजेन्द्र कुमार साहू

(G-1458)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम अक्षिता चौधरी है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. आधार कार्ड सहित उसके कुछ दस्तावेजों में उसका नाम अक्षता दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम अक्षिता चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

पिता– (अनिल चौधरी)

पता– 367, प्लाउडन रोड, महू, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1459)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Mask Business Associates Registered office at 239 Anil Nagar MR-9 Near Sandhya Kirana, Indore (M.P.) 452001 and Registration No is 03/27/01/0308/22 dated 01/11/2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 15/06/2022. In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 04/02/2026, 1. Shri Rajkumar Pandey S/o. Shri Babulal Pandey, 2. Shri Ram Singh Khati S/o. Shri Kishan Singh Khati and 3. Shri Sunil Purohit S/o. Shri Suresh Purohit have voluntarily retired from the Partnership firm. Now Varun Singh Solanki and Vandita Singh are the running Partners of the Partnership firm. Now both running Partners have decided to change the principal place of business from 239 Anil Nagar MR-9 Near Sandhya Kirana, Indore M.P. 452001 To 4th floor, C21 Mall scheme no 54, PU-4, A.B. Road Indore M.P. w.e.f. 04/02/2026.

M/S. Mask Business Associates

Varun Singh Solanki

(Partner).

(G-1460)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम रफीक खान (RAFEEK KHAN) है. मेरी सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम रफीक खान (RAFIQ KHAN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रफीक खान (RAFEEK KHAN) के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रफीक खान)

(RAFIQ KHAN)

नया नाम

(रफीक खान)

(RAFEEK KHAN).

(G-1461)

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्ना पिता श्री बिरजू, निवासी--89, खैरवानी, मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरा सही नाम मुन्ना (MUNNA) पिता बिरजू है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमल पवार पिता श्यामू पवार दर्ज हो गया है, मेरा एवं मेरे पिता का सही नाम मेरे मतदाता परिचय पत्र, भू--राजस्व अभिलेखों, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र में दर्ज है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा सही नाम मुन्ना (MUNNA) पिता बिरजू (BIRJU) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(मुन्ना)

(MUNNA).

(G-1462)

नाम परिवर्तन

मैं, सागर साहू (SAGAR SAHU) पुत्र श्री बजरंगी साहू (BAJRANGI SAHU), निवासी– दर्राहा, मदरी, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भगवानदीन साहू (BHAGWANDEEN SAHU) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे कक्षा 10वीं (हाई स्कूल सर्टिफिकेट) की अंकसूची में मेरा सही नाम सागर साहू (SAGAR SAHU) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे शासकीय/अशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम सागर साहू (SAGAR SAHU) आत्मज श्री बजरंगी साहू (BAJRANGI SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(भगवानदीन साहू)
(BHAGWANDEEN SAHU)

नया नाम
(सागर साहू)
(SAGAR SAHU).

(G-1463)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आरती पुत्री इमरत सिंह (AARTI D/o. IMRAT SINGH), निवासी– वार्ड नं. 17, गडरखेड़ा, मोरीकोड़ी, सलामतपुर, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आरती पुत्री इमरत सिंह (AARATI D/o. IMRAT SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम आरती पुत्री इमरत सिंह (AARTI D/o. IMRAT SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(आरती)
(AARTI)
पुत्री– इमरत सिंह
(D/o. IMRAT SINGH).

(G-1464)

नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी स्मारिका आ. गणेशराम पटैल, निवासी– कोठी बाजार, नर्मदापुरम, तहसील व जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा नाम जन्म प्रमाण–पत्र में स्मारिका सिम्मी पटैल गुर्जर लिखा है. मेरे कुछ दस्तावेजों में आधार कार्ड, अंकसूची में स्मारिका नाम लिखा है. मेरा सही नाम स्मारिका सिम्मी पटैल गुर्जर है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में स्मारिका सिम्मी पटैल गुर्जर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(स्मारिका सिम्मी पटैल गुर्जर).

(G-1465)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमबाई पत्नी श्री दशारू, निवासी– ग्राम तुमरी, पोस्ट पठा, जिला सागर (म.प्र.). मेरा सही नाम प्रेमबाई (Prembai) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम इन्द्ररानी (Indrani) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम प्रेमबाई (Prembai) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(इन्द्ररानी)
(Indrani)

नया नाम
(प्रेमबाई)
(Prembai).

(G-1466)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन सिंह पुत्र श्री रूपसिंह घोसी, निवासी– महावीर, चबूतरा, ग्राम बगासपुरा, जिला सागर (म.प्र.). मेरा सही नाम अर्जुन सिंह (Arjun Singh) है. मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में त्रुटिवश मेरा नाम अनिल कुमार (Anil Kumar) अंकित हो गया है. अर्जुन सिंह एवं अनिल कुमार दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अर्जुन सिंह (Arjun Singh) मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिल कुमार)	**(अर्जुन सिंह)**
(Anil Kumar)	(Arjun Singh).

(G-1467)

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र श्रीवास्तव आत्मज श्री धनप्रसाद श्रीवास्तव, निवासी–ग्राम कस्बा चौका, जिला रायसेन (म.प्र.).मेरा सही नाम धर्मेन्द्र श्रीवास्तव (Dharmendra Shrivastav) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गोविन्द (Govind) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम धर्मेन्द्र श्रीवास्तव (Dharmendra Shrivastav) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गोविन्द)	**(धर्मेन्द्र श्रीवास्तव)**
(Govind)	(Dharmendra Shrivastav).

(G-1468)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अजय यादव (AJAY YADAV) पिता रामप्रसाद यादव है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम (KANHYA LAL) पिता रामप्रसाद यादव दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अजय यादव (AJAY YADAV) पिता रामप्रसाद यादव है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अजय यादव (AJAY YADAV) पिता रामप्रसाद यादव के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामप्रसाद यादव)

पता– ग्राम जरकडियाखेड़ी, पोस्ट खजुरिया,
तहसील ब्यावरा, जारकदिया खेड़ी, ब्यावरा,
जिला राजगढ़, (म.प्र.).

(G-1469)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द यादव (GOVIND YADAV) पिता गोवर्धन यादव (GOVARDHAN YADAV), निवासी– संदहेड़ी, पोस्ट–कछारी, राजगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चेन सिंह (CHEN SINGH) पिता मोती लाल (MOTI LAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम गोविन्द यादव (GOVIND YADAV) पिता गोवर्धन यादव (GOVARDHAN YADAV) है. मेरे आधार कार्ड, मतदाता–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम गोविन्द यादव (GOVIND YADAV) पिता गोवर्धन यादव (GOVARDHAN YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चेन सिंह)	(गोविन्द यादव)
(CHEN SINGH)	(GOVIND YADAV)
पिता– मोती लाल	पिता– गोवर्धन यादव
(S/o. MOTI LAL)	(S/o. GOVARDHAN YADAV).

(G-1470)

नाम परिवर्तन

मैं, रेखा (REKHA) पति दिवाकर प्रजापति, निवासी– उन्नाव वाली रोड, बिजलानी गार्डन के सामने वाली गली, दतिया, मम्मा जी का बाग, दतिया, जिला दतिया (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रजनी प्रजापति (RAJNI PRAJAPATI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रेखा (REKHA) पति दिवाकर प्रजापति है, जो मेरे पैन कार्ड व पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजो में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम रेखा (REKHA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रजनी प्रजापति)	(रेखा)
(RAJNI PRAJAPATI)	(REKHA).

(G-1471)

नाम परिवर्तन

मैं, सरिलू देवी (SARILU DEVI) पति हरगोविंद सिंह भदौरिया, निवासी– ग्राम मानहड, मंहद, मेंहद, भिंड जिला भिंड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सरजू (SARJU) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम सरिलू देवी (SARILU DEVI) पति हरगोविंद सिंह भदौरिया है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम सरिलू देवी (SARILU DEVI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरजू)	(सरिलू देवी)
(SARJU)	(SARILU DEVI).

(G-1472)

नाम परिवर्तन

मैं, गोलू ठाकुर (GOLU THAKUR) पिता राजू (RAJU), निवासी– वार्ड नं. 25, जनता टॉकीज के पास, जीवोदया सोसाइटी, नेहरु गंज इटारसी, पोस्ट इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरा नाम गोलू ठाकुर (GOLU THAKUR) पिता राजू (RAJU) है, जिसे सुधारकर मैंने अपना नाम प्रभास ठाकुर (PRABHAS THAKUR) पिता राजू ठाकुर (RAJU THAKUR) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्रभास ठाकुर (PRABHAS THAKUR) पिता राजू ठाकुर (RAJU THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गोलू ठाकुर)	**(प्रभास ठाकुर)**
(GOLU THAKUR)	(PRABHAS THAKUR).
पिता– राजू	पिता– राजू ठाकुर
(RAJU)	(S/o. RAJU THAKUR).

(G-1473)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम रिहान्श सिंह (REHANSH SINGH) है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रिघंश (RIGHANSH) दर्ज हो गया है. रिहान्श सिंह (REHANSH SINGH) और रिघंश (RIGHANSH) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम रिघंश (RIGHANSH) के स्थान पर सही नाम रिहान्श सिंह (REHANSH SINGH) पुत्र लाल किशन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लाल किशन)

पुत्र– रामसिया सिंह

निवासी– 177, नाका पायगा, गुढा गुढी का नाका, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1474)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मुर्तिजा (MURTIJA) है, यही नाम मेरे वोटर कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुरताज अली (MURATAJ ALEE) दर्ज हो गया है. मुरताज अली (MURATAJ ALEE) और मुर्तिजा (MURTIJA) मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुरताज अली (MURATAJ ALEE) के स्थान पर सही नाम मुर्तिजा (MURTIJA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुरताज अली)	**(मुर्तिजा)**
(MURATAJ ALEE)	(MURTIJA)
	पुत्र– मजर अली
	निवासी– अवाड पुरा, इन्द्रानगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1475)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश राजपूत (DIVYANSH RAJPUT) है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम देवयांश राजपूत (DEVYANSH RAJPUT) दर्ज हो गया है. दिव्यांश राजपूत (DIVYANSH RAJPUT) और देवयांश राजपूत (DEVYANSH RAJPUT) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम देवयांश राजपूत (DEVYANSH RAJPUT) के स्थान पर दिव्यांश राजपूत (DIVYANSH RAJPUT) पुत्र संजय सिंह राजपूत के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय सिंह राजपूत)

पुत्र– अमर सिंह राजपूत

निवासी– विनय नगर सेक्टर 3, पत्रकार कॉलोनी,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1476)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मोनू गुप्ता (MONU GUPTA) है, यही नाम मेरे पुराने आधर कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आई.डी. आदि में दर्ज है, जबकि आधार कार्ड अपडेट कराते समय त्रुटिवश उसमें मेरा नाम मनीष गुप्ता (MANISH GUPTA) दर्ज हो गया है. मोनू गुप्ता (MONU GUPTA) और मनीष गुप्ता (MANISH GUPTA) मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मनीष गुप्ता (MANISH GUPTA) के स्थान पर सही नाम मोनू गुप्ता (MONU GUPTA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मनीष गुप्ता)

(MANISH GUPTA)

नया नाम

(मोनू गुप्ता)

(MONU GUPTA)

पुत्र– राधेश्याम

निवासी– 301, गुरूकृपा आपर्टमेंट,

लाला का बाजार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1477)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अरबाज खान (ARBAJ KHAN) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आकिर खान (AKIR KHAN) दर्ज हो गया है. अरबाज खान (ARBAJ KHAN) और आकिर खान (AKIR KHAN) मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम आकिर खान (AKIR KHAN) के स्थान पर सही नाम अरबाज खान (ARBAJ KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(आकिर खान)

(AKIR KHAN)

नया नाम

(अरबाज खान)

(ARBAJ KHAN)

पुत्र– गुडडू खान

निवासी– शंकरपुर, पोस्ट आफिस मोतीझील,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1478)

नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र पुरी गोस्वामी मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से मेरे पुत्र का नाम सुभा0ग पुरी गोस्वामी (SUBHAG PURI GOSWAMI) अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में शुभांग पुरी गोस्वामी (SHUBHANG PURI GOSWAMI) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम शुभांग पुरी गोस्वामी (SHUBHANG PURI GOSWAMI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुभा0ग पुरी गोस्वामी)	**(शुभांग पुरी गोस्वामी)**
(SUBHAG PURI GOSWAMI)	(SHUBHANG PURI GOSWAMI)
	निवासी– निवासी– 46/47, कैलाश नगर, सेमरा कलां, फेस 2, राजश्री आटा चक्की, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1479)

नाम परिवर्तन

मैं, सरवन सिंह राजपूत मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा सरवन सिंह (SARAVANA SINGH) गलत अंकित हो गया है. मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में सरवन सिंह राजपूत (SARVAN SINGH RAJPUT) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सरवन सिंह राजपूत (SARVAN SINGH RAJPUT) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरवन सिंह)	**(सरवन सिंह राजपूत)**
(SARAVANA SINGH)	(SARVAN SINGH RAJPUT)
	पता– निवासी 01, ग्राम पीपलखेड़ी, बैरसिया, भोपाल (म.प्र.).

(G-1480)

नाम परिवर्तन

मैं, अतुल बर्वे मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से मृदुल बर्वे (MRADUL BARVE) अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में मृदुल बर्वे (MRIDUL BARVE) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को मृदुल बर्वे (MRIDUL BARVE) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मृदुल बर्वे)	**(मृदुल बर्वे)**
(MRADUL BARVE)	(MRIDUL BARVE)
	निवासी– 567, यूनिक कम्प्यूटर, पाटीदार मार्केट, ग्राम पोस्ट करही, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1481)

नाम परिवर्तन

मैं, राधा रानी रघुवंशी, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रामेती बाई (RAMETI BAI) गलत नाम अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र, पैन कार्ड में राधा रानी रघुवंशी (RADHA RANI RAGHUWANSHI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राधा रानी रघुवंशी (RADHA RANI RAGHUWANSHI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामेती बाई)
(RAMETI BAI)

नया नाम
(राधा रानी रघुवंशी)
(RADHA RANI RAGHUWANSHI)
निवासी– 449, नटेरन, मकान नं. 434,
से अंत तक, ग्राम नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1482)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश बंशकार मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से छोटू बंशकार (CHOTU WASHKAR) गलत नाम अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रियांश बंशकार (PRIYANSH BANSHKAR) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांश बंशकार (PRIYANSH BANSHKAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राकेश बंशकार)
पता– 113/1, ग्राम गुरारिया, हवेली
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1483)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम फिरोज जहां पत्नी हामीद शेर खां (FEEROZ JAHAN W/o. HAMID SHER KHAN), निवासी–20, जोगीपुरा, बुधवारा, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम फीरोज़ा पत्नी श्री हामिद (FEEROZA W/o. HAMID) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे पति के पेंशन रिकार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम फिरोज जहां पत्नी हामीद शेर खां (FEEROZ JAHAN W/o. HAMID SHER KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(फीरोजा़)
(FEEROZA)
पत्नी– श्री हामिद

नया नाम
(फिरोज जहां)
(FEEROZ JAHAN)
पत्नी– हामीद शेर खां
(W/o. HAMID SHER KHAN)

(G-1484)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रियाना जैन था, जो कि अब बदलकर जैकलीन जैन पिता कुश जैन हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रियाना जैन)

नया नाम
(जैकलीन जैन)
पता– 39/2, न्यू पलासिया,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1485)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम पावि गुप्ता था, जो कि बदलकर पावनि गुप्ता पिता धर्मेन्द्र गुप्ता कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पावि गुप्ता)

नया नाम
(पावनि गुप्ता)
पिता– धर्मेन्द्र गुप्ता
पता– ग्राम 663 ए, शिव सिटी आई.पी.एस.
अकेडमी के पीछे, एबी रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1486)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संदीप था, जो कि बदलकर हर्ष सिसोदिया पिता संदीप कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संदीप)

नया नाम
(हर्ष सिसोदिया)
पिता– संदीप
पता– ग्राम दंगवाड़ा, बड़नगर
जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-1487)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम नेहेत यादव था, जो कि अब बदलकर निहित यादव पिता कृष्णलाल यादव कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नेहेत यादव)

नया नाम
(निहित यादव)
पिता– कृष्णलाल यादव
पता– बोरावां, तहसील बोरावां,
जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1488)

CHANGE OF NAME

I hereby declare that my name is lokendra Singh Rothore (लोकेंद्र सिंह राठौड़), son of Satybhan Singh Rathor, but in my documents it is misspelt as Lokendra Singh Rothor (लोकेंद्र सिंह राठौर). I further declare that lokendra Singh Rothore (लोकेंद्र सिंह राठौड़) and lokendra Singh Rothor (लोकेंद्र सिंह राठौर). refer to one and the same person that is myself I hereby declare that after this publication I shall hereafter be spelt designated and addressed as lokendra Singh Rothore (लोकेंद्र सिंह राठौड़).

Old Name
(Lokendra Singh Rothor)
(लोकेंद्र सिंह राठौर)

New Name
(Lokendra Singh Rothore)
(लोकेंद्र सिंह राठौड़).
पता– 4, कुम्हारपुरा, मंगलवारा, भोपाल,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1489)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहित जोशी (Mohit Joshi) आत्मज श्री लाखन प्रसाद जोशी, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम मोहित जोशी (Mohit Joshi) आत्मज श्री लाखन प्रसाद जोशी अंकित है. आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में लिपिक त्रुटि से मेरा नाम मोनू जोशी (Monu Joshi) आत्मज श्री लाखन प्रसाद जोशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे मोहित जोशी (Mohit Joshi) आत्मज श्री लाखन प्रसाद जोशी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मोनू जोशी)
(Monu Joshi)

नया नाम
(मोहित जोशी)
(Mohit Joshi)
आत्मज– श्री लाखन प्रसाद जोशी
पता– बस स्टैंड केसूर, जिला धार (म.प्र.).

(G-1490)

उपनाम परिवर्तन

मैं, शेखर सिसोदिया एवं करुणा सिसोदिया मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका का नाम रुद्र प्रताप सिंह (RUDRA PRATAP SINGH) अंकित है जिसमें उपनाम सिसोदिया (Sisodiya) अंकित नहीं है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया (RUDRA PRATAP SINGH SISODIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(शेखर सिसोदिया)
पता– 316, खलबुजुर्ग हनुमान मंदिर के पीछे,
खलबुजुर्ग खल बुजुर्ग जिला धार (म.प्र.).

(G-1491)

नाम परिवर्तन

मैं, कुसुम राजपूत (Kusum Rajput), मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम कुसुम राजपूत अंकित है आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बी के कुसुम (BK Kusum) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मुझे कुसुम राजपूत (Kusum Rajput) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बी के कुसुम)
(B K Kusum)

नया नाम
(कुसुम राजपूत)
(Kusum Rajput).

(G-1492)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेंद्र शर्मा, मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम अनमोल शर्मा (Anmol Sharma) अंकित है. आधार कार्ड में त्रुटिवश अंश (Ansh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम अनमोल शर्मा (Anmol Sharma) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(राजेंद्र शर्मा)
पता– 112, रीछई, ग्राम पोस्ट घटेरा,
जिला विदिशा, (म.प्र.).

(G-1493)

CHANGE OF NAME

Myself Guru mukh Das S/o. Shree Hakim Rai ji presently known as Abhed Puran Anand, having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust, at the premises of Shri Anandpur Trust, I hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Guru mukh Das, but by assigned name Abhed Puran Anand request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Abhed Puran Anand.

Old Name — **(Guru mukh Das)**

New Name — **(Abhed Puran Anand).**

(G-1494)

नाम परिवर्तन

मैं, मीठालाल घाची, मेरे पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका नाम देवांशी घाची (Devanshi Ghachi) अंकित है, परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में त्रुटिवश उसका नाम देवांशी मीठालाल घाची (Devanshi Mithalal Ghanchi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्री के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में देवांशी घाची (Devanshi Ghachi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मीठालाल घाची)

(Mithalal Ghachi)

पता– 110/A-2, स्कीम नंबर 136,

चौराया निरंजनपुर, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1495)

नाम परिवर्तन

मैं, मीठालाल घाची, कि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम पार्थ घाची (Parth Ghachi) अंकित है, परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में त्रुटि से उसका नाम पार्थ मीठालाल घाची (Parth Mithalal Ghachi), (Parth Meethalal Ghachi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में पार्थ घाची (Parth Ghachi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मीठालाल घाची)

(Mithalal Ghachi)

पता– 110/A-2, स्कीम नंबर 136,

चौराया निरंजनपुर, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1496)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री सारा गौर का नाम गाथा गौर पुत्री पंकज गौर है, उसके जन्म प्रमाण–पत्र में गाथा गौर नाम अंकित है. लेकिन आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम सारा गौर अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम गाथा गौर के नाम से ही जाना–पहचाना एवं आधार कार्ड में यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पंकज गौर)

निवासी– तुलसी थाना, रेसीडेंसी,

डी–203, निपानिया रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1497)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र वैभव शिवदास चिखलकर पिता शिवदास चिखलकर का नाम जन्म प्रमाण–पत्र शाला अभिलेख अंकसूची, समग्र आई.डी. आदि दस्तावेजों में ओमेश शिवदास चिखलकर लिखा है, जो कि सही है. त्रुटिवश उसका नाम आधार कार्ड में वैभव शिवंदास चिखलकर अंकित हुआ. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, मेरे पुत्र का सही नाम ओमेश शिवदास चिखलकर पिता शिवदास चिखलकर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शिवदास चिखलकर)

निवासी– वार्ड नंबर 14, बोरसल,
तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-1498)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसके नाम की अंग्रेजी में स्पेलिंग Mo. Amin हो गई है, जबकि उसके सही नाम की स्पेलिंग Aameen है. जो कि सही है. जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम Aameen के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शेख असलम)

निवासी– मूढला, कलां, सीहोर (म.प्र.).

(G-1499)

नाम परिवर्तन

मैं, जुबैर अंजुम पुत्र श्री अंजुम वहीद खान, निवासी– 204, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बी–सेक्टर, कोहेफिजा, भोपाल, (म.प्र.). मेरी 10वीं एवं 12वीं की अंकसूचियों में त्रुटिवश मेरे पिताजी का नाम अंजुम खान (ANJUM KHAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं वोटर कार्ड पर मेरे पिता का पूरा नाम अंजुम वहीद खान (ANJUM WAHEED KHAN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही दस्तावेजों में सही नाम जुबैर अंजुम (ZUBAIR ANJUM) पुत्र श्री अंजुम वहीद खान (ANJUM WAHEED KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जुबैर अंजुम)	**(जुबैर अंजुम)**
(ZUBAIR ANJUM)	(ZUBAIR ANJUM)
पुत्र– श्री अंजुम खान	पुत्र– श्री अंजुम वहीद खान
(ANJUM KHAN)	(ANJUM WAHEED KHAN).

(G-1500)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम आधार बाई पत्नी स्व. खुशीलाल है लेकिन त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड (खसरा खतौनी) में मेरा नाम सरदार बाई दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम आधार बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरदार बाई)	**(आधार बाई)**
	पत्नी– स्व. खुशीलाल
	निवासी– म.नं. 28, बीनापुर, तहसील हुजूर,
	जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1501)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रूपा पत्नी गंगाराम है, लेकिन आधार कार्ड में मेरा नाम गलती से रूकसाना पत्नी गंगाराम दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रूकसाना की जगह रूपा किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूकसाना)	(रूपा) पत्नी– गंगाराम निवासी– खजुरिया खुर्द, श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1502)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश सिंह, निवासी– ग्राम बारह, पडरिया राजाधार, रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश रामगोपाल नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि सही नाम लीलाधर है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम लीलाधर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राकेश सिंह).

(G-1503)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म M/s. SATYAM BUILDERS AND DEVELOPERS पता– Effotel By Sayaji 435–1–4, 435–1–6, Hoshangabad Road, Bawadiya Kalan Bhopal, Madhya Pradesh–462047 पंजी.न. 01–01–01–00309–10 दिनांक 19.10.2010 द्वारा दिनांक 16–10–2017 का Shri Phatandas Golani S/o. Late Shri Ghumanmal, R/o. 42, Idgah Hills, Bhopal की मृत्यु हो जाने पर भागीदारी फर्म से पृथक् किया गया. जिसका उल्लेख 01–04–2018 संशोधित डीड में किया गया है. दिनांक 01–04–2025 को 1. Shri. Mihir Golani S/o. Shri Manoj Kumar Golani, R/o. H-50 Pebble Bay, Phase III, Katara, Bhopal 2. Shri Akash Golani S/o. Shri Naresh Kumar Golani, R/o. H-49 Pebble Bay, Phase III, Katara, Bhopal 3. Shri Deepak Golani S/o. Shri Naresh Kumar Golani, R/o. H-49 Pebble Bay, Phase III, Katara, Bhopal 4.Shri Yash Golani S/o. Shri Ashok Kumar Golani R/o. H-3 Pebble Bay, Phase III, Katara, Bhopal 5. Shri Raj Golani S/o. Shri Omprakash Golani, R/o. H-4 Pebble Bay, Phase III, Katara, Bhopal भागीदारी फर्म में शामिल हुए. दिनांक 01–04–2025 को 1. Smt. Chandra Golani W/o. Shri Phatandas, R/o. 40, Idgah Hills, Bhopal 2. Narayandas Golani S/o. Shri Phatandas, R/o. 35, Idgah Hills, Bhopal 3. Smt. Deepa Golani W/o. Shri Narayandas Golani, R/o. 35, Idgah Hills, Bhopal 4. Smt. Kanchan Golani W/o. Shri Ashok Kumar Golani, R/o. 42, Idgah Hills, Bhopal 5. Nitesh Golani S/o. Shri Narayandas Golani, R/o. 35, Idgah Hills, Bhopal भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 01–04–2025 को भागीदारी फर्म का पता 42, ईदगाह हिल्स भोपाल के स्थान पर नवीन पता– Effotel By Sayaji 435–1–4, 435–1–6, Hoshangabad Road, Bawadiya Kalan Bhopal, Madhya Pradesh–462047 कर दिया गया है.

M/s. SATYAM BUILDERS AND DEVELOPERS

Akash Golani

(Partner)

Add.- Effotel By Sayaji 435/1/4, 435/1/6,

Hoshangabad Road, Bawadiya Kalan Bhopal,

(G-1504)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेमर्स एस.एस. कन्सट्रक्शन, वर्तमान– मुख्यालय हाउस नं. 22, ग्राम पोस्ट करी, थाना सिविल लाइन, तहसील राजनगर, छतरपुर (म.प्र.) 471105 के साझेदार सनिल कुमार तिवारी तनय बाबू लाल तिवारी सेवामुक्त हो गये हैं इनके स्थान पर हिमांशु अग्रवाल तनय श्री विजय कुमार अग्रवाल, निवासी– हाउस नं. 90, वार्ड नं. 19, बसारी दरवाजा मस्जिद के पीछे छतरपुर (म.प्र.) 471001 फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं फर्म का वर्तमान– मुख्यालय हाऊस नं. 22, ग्राम– पोस्ट करी, थाना सिविल लाइन, तहसील राजनगर, छतरपुर (म.प्र.) 471005 कर दिया गया है. दिनांक 09 मई 2024 से लागू माने जायेंगे.

मेमर्स एस.एस. कन्सट्रक्शनए

हिमांशु अग्रवाल

संदीप अग्रवाल

सुनील कुमार तिवारी

(भागीदार).

(G-1505)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम इंदु भीमराव राउत (INDU BHIMRAO RAUT) पति भीमराव राउत था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम प्रतिभा राउत (PRATIBHA RAUT) पति भीमराव राउत कर लिया है, जो मेरे वोटर कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्रतिभा राउत (PRATIBHA RAUT) पति भीमराव राउत लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(इंदु भीमराव राउत)

(INDU BHIMRAO RAUT)

नया नाम

(प्रतिभा राउत)

(PRATIBHA RAUT)

पति– भीमराव राउत

पता– 182, महादेव तोतला नगर,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1506)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अभिराज सोलिया (ABHIRAJ SOLIYA) पिता राजकिरण सोलिया है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम जॉर्डन सोलिया (JORDAN SOLIYA) पिता राजकिरण सोलिया दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम अभिराज सोलिया (ABHIRAJ SOLIYA) पिता राजकिरण सोलिया लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जॉर्डन सोलिया)

(JORDAN SOLIYA)

नया नाम

(अभिराज सोलिया)

(ABHIRAJ SOLIYA)

पिता– राजकिरण सोलिया

पता– 924, रोली गांव रोड,

भाभरा, अलीराजपुर (म.प्र.).

(G-1507)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम आदिल अली (ADIL ALI) पिता मोहम्मद तसलीम है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद आदिल (MOHAMMAD ADIL) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम आदिल अली (ADIL ALI) पिता मोहम्मद तसलीम के नाम से लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहम्मद आदिल)	**(आदिल अली)**
(MOHAMMAD ADIL)	(ADIL ALI)
	पिता– मोहम्मद तसलीम
	पता– म.नं. 526, नियर 8 नल, छोटी ओमती,
(G-1508)	जिला जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विकास (VIKASH) पिता विष्णु (VISHNU) माता पेपुबाई (PEPUBAI) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी माता का नाम त्रुटिवश खुरपी बाई (KHURPI BAI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम विकास (VIKASH) पिता विष्णु (VISHNU) माता पेपुबाई (PEPUBAI) लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विकास)	**(विकास)**
(VIKASH)	(VIKASH)
माता–खुरपी बाई (KHURPI BAI)	पिता– विष्णु (VISHNU)
	माता– पेपुबाई (PEPUBAI)
	पता– धरावरा, तह. देपालपुर,
(G-1509)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम संगीता मालवीय (SANGEETA MALVIYA) पिता श्री रविशंकर मालवीय था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. श्री राजेश चौधरी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम संगीता चौधरी (SANGEETA CHAUDHARY) पति राजेश चौधरी हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम संगीता चौधरी (SANGEETA CHAUDHARY) पति राजेश चौधरी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संगीता मालवीय)	**(संगीता चौधरी)**
(SANGEETA MALVIYA)	(SANGEETA CHAUDHARY)
	पति– श्री राजेश चौधरी
	पता– 68, स्कीम नं. 134,
(G-1510)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व में नाम सोमिया (Somiya) था, जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मेरी पुत्री को सोम्या मकवाना (Somya Makwana) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय/अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावे.

आवेदक

(मोहन)

(Mohan)

निवासी– 61, बसान्द्रा, हातोद,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1511)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम राजू पाल (Raju Pal) था, जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे राधेश्याम पाल (Radheshyam Pal) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(राधेश्याम पाल)

(Radheshyam Pal)

निवासी– 133 बी, श्याम नगर,

मेन सुखलिया, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1512)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व में नाम काव्या गोलेच्छा पिता अमित कुमार गोलेच्छा (Kavya Golecha D/o. Amit Kumar Golecha) था, जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरी पुत्री को काव्या जैन पिता अंतिम जैन (Kavya Jain D/o. Antim Jain) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अंतिम जैन)

(Antim Jain)

निवासी :– वार्ड नं. 16, 85, गोपालपुरा,

बडवाह, वेस्ट निमार (म.प्र.).

(G-1513)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम लक्ष्मी बघेल (LAXMI BAGHEL) था, जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे ज्योति बघेल (JYOTI BAGHEL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(ज्योति बघेल)

(JYOTI BAGHEL)

निवासी– बयडा फलिया, देगांव, भीलखेडी,

जिला आलीराजपुर (म.प्र.).

(G-1514)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व में नाम हिमांशी साहू (Himanshi Sahu) था, जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मेरी पुत्री हरतवी साहू (Hratvi Sahu) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवेन्द्र कुमार साहू)
(Davendra Kumar Sahu)
निवासी– 102–ए, माउंट कार्मेल स्कूल,
राधिका सोसाइटी ,श्याम नगर,
मेन रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1515)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम प्रिंसी बारमासे पुत्री श्रीमती रेखा बारमासे, निवासी– बिरुल बाजार, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश वैष्णवी (Veshnavi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरी पुत्री सही नाम प्रिंसी बारमासे (Prinsee Barmase) दर्ज है. प्रिंसी बारमासे (Prinsee Barmase) एवं वैष्णवी (Veshnavi) दोनों मेरी पुत्री के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को प्रिंसी बारमासे (Prinsee Barmase) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(G-1516) **(रेखा बारमासे).**

नाम परिवर्तन

मैं, राशी माखीजा (RASHI MAKHIJA) पत्नी श्री अमित माखीजा, निवासी–विजय नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.). मेरे रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में मेरा नाम कृति नाथानी पुत्री गणेश नाथानी एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रीति नाथानी पुत्री गणेश नाथानी दर्ज हैं, विवाह पश्चात् मेरा नाम राशी माखीजा (RASHI MAKHIJA) पत्नी अमित माखीजा हो गया है. उपरोक्त सभी नाम मेरे ही हैं, जहां–कहीं भी मेरा नाम कृति नाथानी एवं प्रीति नाथानी पुत्री गणेश नाथानी दर्ज है, उसके स्थान पर राशी माखीजा पत्नी श्री अमित माखीजा नाम दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेर सही नाम राशी माखीजा पत्नी श्री अमित माखीजा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कृति नाथानी एवं प्रीति नाथानी)
पुत्री– गणेश नाथानी

नया नाम

(राशी माखीजा)
(RASHI MAKHIJA)
पत्नी– श्री अमित माखीजा.

(G-1517)

CHANGE OF NAME

I, Jasvee Thanvi, daughter of Anjali Keswani, resident of Flat No. 602, Block -02, Fortune Signature, Bawadiya Kalan, Salaiya, University, Bhopal (M.P.), hereby declare that in all my documents, my name is recorded as Meghnani Jiya Kumarbhai daughter of Meghanani Kumarbhai Kanaiyalal which I am voluntarily giving up and adopting my new name Jasvee Thanvi. Therefore, through this publication, I declare that henceforth I should be known, identified, written, and read by the name Jasvee Thanvi and the same name should be recorded in all governmental and non-governmental documents.

Old Name

(Meghnani Jiya Kumarbhai)

New Name

(Jasvee Thanvi).

(G-1518)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोहर मालवीया आत्मज श्री रमेश चन्द्र मालवीय, निवासी– 127, गुरूनानक कॉलोनी, इंदौर (म.प्र). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आरूष मालवीय (ARUSH MALVIYA) दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम आरुष्य मालवीय (ARUSHYA MALVIYA) जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में व स्कूल की मार्कशीटों में एवं उसके सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका यही नाम दर्ज है तथा उसके आधार कार्ड में उसका नाम आरूष मालवीय (ARUSH MALVIYA) से बदलकर उसका सही नाम आरूष्य मालवीय (ARUSHYA MALVIYA) किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसके सही नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरूष मालवीय)	**(आरूष्य मालवीय)**
(ARUSH MALVIYA)	(ARUSHYA MALVIYA).

(G-1519)

उपनाम परिवर्तन

मैं, प्रियंका चौहान पिता सतीश चौहान, निवासी– 29/13, गणेश विहार कॉलोनी, राउ, इन्दौर (म.प्र). मेरी वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा नाम प्रियंका चौहान (PRIYANKA CHOUHAN) पिता सतीश चौहान है जिसमें मेरे नाम के साथ उपनाम चौहान दर्ज है, जो कि सही नाम है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे उपनाम के स्थान पर राजपूत लगके मेरा नाम प्रियंका राजपूत (PRIYANKA RAJPUT) हो गया है, परन्तु मैं अपने नाम के साथ चौहान दर्ज करवाना चाहती हुँ. जो कि मेरे वोटर आईडी कार्ड में है. मेरे आधार कार्ड, शासकीय/अर्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्रियंका चौहान (PRIYANKA CHOUHAN) पिता सतीश चौहान दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरानत भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रियंका राजपूत)	**(प्रियंका चौहान)**
(PRIYANKA RAJPUT)	(PRIYANKA CHOUHAN).

(G-1520)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनुज रघुवंशी पिता श्री रामसेवक रघुवंशी (ANUJ RAGHUWANSHI S/o. RAMSEVAK RAGHUWANSHI), निवासी– 74, ग्राम खल, तहसील सिवनी मालवा, पोस्ट, नंदरवाड़ा खल, सिवनी मालवा, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आयुष रघुवंशी पिता श्री रामसेवक रघुवंशी (AYUSH RAGHUWANSHI S/o. RAMSEWAK RAGHUWANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम अनुज रघुवंशी पिता श्री रामसेवक रघुवंशी (ANUJ RAGHUWANSHI S/o. RAMSEVAK RAGHUWANSHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आयुष रघुवंशी)	**(अनुज रघुवंशी)**
(AYUSH RAGHUWANSHI)	(ANUJ RAGHUWANSHI) पिता– श्री रामसेवक रघुवंशी (S/o. RAMSEVAK RAGHUWANSHI)

(G-1521)

Public Notice

Notice is hereby given for public information that SHRI ASHOK KUMAR AGRAWAL S/o. SHRI PRAHLAD DAS AGRAWAL have been retired from the partnership business as from 01-04-2025 and SHRI ASHISH KUMAR AGRAWAL S/o. SHRI MOHANLAL AGRAWAL have been admitted as a partner as from 01-04-2025 in the partnership firm named M/s. OMPRAKASH HARAKCHAND MITTAL, 7/3, Narsingh Bazar, Indore (M.P.) vide reg. no. 03-27-03-00007-06 dated 02-05-2006 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

M/s. OMPRAKASH HARAKCHAND MITTAL

PREMLATA AGRAWAL

(PARTNER).

(G-1522)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता चौहान पत्नी श्री मनोज चौहान, निवासी– 24ड, तात्या सरवटे नगर, गली नं. 5 व 4 इंदौर नगर, एच.ओ. इंदौर (म.प्र.). मेरा नाम सुनीता चौहान (SUNEETA CHOUHAN) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चौहान सुनीता मनोज (CHOUHAN SUNEETA MANOJ) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सुनीता चौहान (SUNEETA CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(चौहान सुनीता मनोज)

(CHOUHAN SUNEETA MANOJ)

नया नाम

(सुनीता चौहान)

(SUNEETA CHOUHAN).

(G-1523)

नाम परिवर्तन

मैं, जयकरण साहू पिता श्री रामभजन साहू, निवासी– देवगॉव, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम पहले पुष्पेन्द्र साहू जिसे अब बदलकर दीपक साहू कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में पुष्पेन्द्र साहू के स्थान पर दीपक साहू के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जयकरण साहू)

पिता– श्री रामभजन साहू.

(G-1524)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम भूलवश PAVITRA हो गया है, जो कि निवासी– ग्राम कोणदा तहसील कुक्षी जिला धार (म.प्र) है. अतः प्रकाशन उपरान्त उसे उसके सही नाम AAYUSHI PADIYAR के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश पडियार)

पिता– श्री हिराजी पडियार.

(G-1525)

GENERAL INFORMATION

I, PULOMA DWIBEDI, W/O SHUSHANT GOTMARE, R/o. H.No.1760, SHUBHADAYINI, GUPTESHWAR ROAD, NEAR MADHUR APARTMENT, VTC:- JABALPUR PO: JABALPUR, MADHYA PRADESH (482001) HAVE CORRECTION IN THE NAME OF MY MINOR DAUGHTER SHRAVYA GOTMARE, AGED 8 YEARS (DOB 26-01-2017) SHE SHALL HEREAFTER BE KNOWN AS SHRAVYA GOTMARE, ACCORDING TO HER PASSPORT, IT IS CERTIFIED THAT I HAVE COMPLIED WITH OTHER LEGAL REQUIREMENTS IN THIS CONNECTION.

Applicant

(G-1526) (**PULOMA DWEBEDI**).

नाम परिवर्तन

मेरा किरण वाधवानी पत्नी गुरमुखदास वाधवानी (KIRAN WADHWANI W/o. GURMUKHDAS WADHWANI), निवासी– फ्लैट नं.–301, तीसरा फ्लोर, ब्लॉक–पी, विराशा हाईट्स, फेस–01, विलेज बंजारी, हुजूर कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कमला बाई पत्नी गुरमुखदास वाधवानी (KAMLA BAI W/o. GURMUKHDAS WADHWANI) अंकित हो गया है, जो कि मेरा ही नाम है. मैं उपरोक्त वर्णित दोनों ही नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे स्वयं कें हैं तथा मेरे अन्य दस्तावेज जिनमें मेरा नाम कमला बाई पत्नी गुरमुखदास वाधवानी (KAMLA BAI W/o. GURMUKHDAS WADHWANI) है, उसके स्थान पर किरण वाधवानी पत्नी गुरमुखदास वाधवानी (KIRAN WADHWANI W/o. GURMUKHDAS WADHWANI) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे. मेरा नाम किरण वाधवानी पत्नी गुरमुखदास वाधवानी (KIRAN WADHWANI W/o. GURMUKHDAS WADHWANI) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड व पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम किरण वाधवानी पत्नी गुरमुखदास वाधवानी (KIRAN WADHWANI W/o. GURMUKHDAS WADHWANI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमला बाई)
(KAMLA BAI)

नया नाम
(किरण वाधवानी)
(KIRAN WADHWANI)
पत्नी– गुरमुखदास वाधवानी
(W/o. GURMUKHDAS WADHWANI).

(G-1527)

नाम परिवर्तन

मैं, मीरा बाई पति सरदार, निवासी– ग्राम रतेड़ी, तहसील बरोठा, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सीमा बाई पति सरदार दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम मीरा बाई पति सरदार है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड, समग्र आई.डी., स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मीरा बाई पति सरदार के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सीमा बाई)

नया नाम
(मीरा बाई)
पति– सरदार
निवासी– रतेड़ी, तहसील बरोठा,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-1528)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सदानंद कुशवाहा पिता तौलन प्रसाद कुशवाहा (SADANAND KUSHWAHA S/o. TAULAN PRASAD KUSHWAHA), निवासी– ग्राम पंचायत डीही, पोस्ट मांगी, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अरूण कुमार कुशवाहा पिता तौलन प्रसाद कुशवाहा (ARUN KUMAR KUSHWAHA S/o. TAULAN PRASAD KUSHWAHA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सदानंद कुशवाहा पिता तौलन प्रसाद कुशवाहा (SADANAND KUSHWAHA S/o. TAULAN PRASAD KUSHWAHA) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची व स्थानीय निवासी प्रमाण–प्रत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सदानंद कुशवाहा पिता तौलन प्रसाद कुशवाहा (SADANAND KUSHWAHA S/o. TAULAN PRASAD KUSHWAHA) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अरूण कुमार कुशवाहा)	**(सदानंद कुशवाहा)**
(ARUN KUMAR KUSHWAHA)	(SADANAND KUSHWAHA)
	पिता– तौलन प्रसाद कुशवाहा
	(S/o. TAULAN PRASAD KUSHWAHA).

(G-1529)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सबीना बी (SABINA BEE) पिता सद्दाम खान, निवासी– ग्राम पिपलिया गोपाल, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम समरीन खां (SAMRIN KHAN) पिता सद्दाम खान दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम सबीना बी (SABINA BEE) पिता सद्दाम खान दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से पढा–लिखा, जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(समरीन खां)	**(सबीना बी)**
(SAMRIN KHAN)	(SABINA BEE)
	पिता– सद्दाम खान.

(G-1530)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कुलबीर कौर गुलाटी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गुलाटी, निवासी – मकान नम्बर 161, ईदगाह हिल्स मोलाना आजाद स्कूल के पास, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम विवाह के पूर्व बिलबेर कौर के नाम से जानी जाती थी, विवाह के पश्चात् श्रीमती कुलबीर कौर गुलाटी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गुलाटी के नाम से जानी जाती हूँ तथा मेरा नाम श्रीमती कुलबीर कौर गुलाटी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गुलाटी के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(कुलबीर कौर गुलाटी)

पत्नी– श्री कुलदीप सिंह गुलाटी.

(G-1531)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम केशव सिंह पुत्र राजवीर सिंह, निवासी वार्ड नं.–12, बसंतपुरा, नोधा जिला–भिंड (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कोमल सिंह पिता केशव सिंह (KOMAL SINGH C/o. KESHAV SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम यशराज सिंह पिता केशव सिंह (YASHRAJ SINGH S/o. KESHAV SINGH) जो कि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे पुत्र के ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम यशराज सिंह पिता केशव सिंह (YASHRAJ SINGH S/o. KESHAV SINGH) के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(केशव सिंह)

(KESHAV SINGH).

(G-1532)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दीपक पटेल (DEEPAK PATEL) पिता रामाश्रय पटेल है, निवासी– वार्ड नं. 15, हैंडपंप के पास, चहला, तहसील हनुमाना, जिला रीवा (म.प्र.). जो कि मेरे वोटर कार्ड एवं मेरी अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दीपक कुमार पटेल (DEEPAK KUMAR PATEL) पिता रामाश्रय पटेल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम दीपक पटेल (DEEPAK PATEL) पिता रामाश्रय पटेल दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में पढा–लिखा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(DEEPAK KUMAR PATEL)

नया नाम

(दीपक पटेल)

(DEEPAK PATEL)

पिता– रामाश्रय पटेल.

(G-1533)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम सुमित पंवार (SUMIT PANWAR) पिता धन सिंह पंवार, निवासी– ग्राम लसुल्डिया, मेहा तहसील गुलाना जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र की अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम चन्द्रपाल (CHANDRPAL) पिता धन सिंह पंवार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम सुमित पंवार (SUMIT PANWAR) पिता धन सिंह पंवार दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(चन्द्रपाल)

(CHANDRPAL)

नया नाम

(सुमित पंवार)

(SUMIT PANWAR)

पिता– धन सिंह पंवार.

(G-1534)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद तोफिक पिता मोहम्मद युनुस, निवासी– वार्ड नंबर 17, शुजालपुर मंडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कॉर्ड में उसका नाम (मोहम्मद आदिल Mohammad Aadil) दर्ज हो गया था, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में मेरे पुत्र का नाम आदिल मेमन (Aadil Memon) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका सही नाम आदिल मेमन (Aadil Memon) दर्ज किया जावे तथा मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम आदिल मेमन (Aadil Memon) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहम्मद युनुस).

(G-1535)

नाम परिवर्तन

मैं, जग्गू महार पिता गेंदा लाल, निवासी–258, बड़ी ओमती खटीक मोहल्ला, मदन मोहन मालवीय वार्ड, जबलपुर (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय रिकार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज जैसे अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम जग्गू महार दर्ज है. जबकि मेरे शासकीय/अशासकीय रिकार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों जैसे– अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम जगदीश भालेकर दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय रिकार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज जैसे अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम जगदीश भालेकर लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(जग्गू महार).

(G-1536)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चंद्रकांता सोनी (CHANDRAKANTA SONI) पति हजारी लाल सोनी है, जो कि मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चन्द्रकला सोनी (CHANDRAKALA SONI) पति हजारी लाल सोनी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम चंद्रकांता सोनी (CHANDRAKANTA SONI) पति हजारी लाल सोनी के नाम से समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(चन्द्रकला सोनी)

(CHANDRAKALA SONI)

नया नाम

(चंद्रकांता सोनी)

(CHANDRAKANTA SONI)

पति– हजारी लाल सोनी

पता– वार्ड नं. 21, आर्य समाज मंदिर के पास,

लालपुरा शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1537)

नाम परिवर्तन

मैं, बरहाउद्दीन बहोरा पिता जराउद्दीन, निवासी– म.नं. 117/6, कोतवाली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वार्ड जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बरहाउद्दीन बघेरा दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों/अंकसूची एवं सर्विस बुक में मेरा नाम बरहाउद्दीन बहोरा (BARHAUDDEEN BAHORA) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में नाम बरहाउद्दीन बहोरा (BARHAUDDEEN BAHORA) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बरहाउद्दीन बघेरा)	**(बरहाउद्दीन बहोरा)**
(BARAHAUDDIN BAGHERA)	(BARHAUDDEEN BAHORA).

(G-1538)

नाम परिवर्तन

मैं, हसन अली पिता हुसैन शाह, निवासी– ग्राम दुदवास, तहसील खातेगांव जिला देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम हसन अली (HASAN ALI) पिता हुसैन शाह है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हसनाली शाह पिता हुसैन शाह अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम हसन अली (HASAN ALI) पिता हुसैन शाह मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हसनाली शाह)	**(हसन अली)**
(HASANALI SHAH)	(HASAN ALI).

(G-1539)

नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम सुतार आत्मज बाबूलाल सुतार, निवासी– ग्राम बिछोला माल, पोस्ट सोनतलाई, तहसील हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम रानू विश्वकर्मा (RANU VISHWAKARMA) आत्मज राधेश्याम सुतार है एवं उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम रवीना सुतार आत्मज राधेश्याम सुतार अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री सही का नाम रानू विश्वकर्मा (RANU VISHWAKARMA) आत्मज राधेश्याम सुतार मेरे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रवीना सुतार)	**(रानू विश्वकर्मा)**
(RAVINA SUTAR)	(RANU VISHWAKARMA).

(G-1540)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कैलाश पिता श्री त्रिलोकचंद, निवासी– वार्ड नं. 07, बासौदा, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुकेश पिता देवेन्द्र कुमार (MUKESH S/o. DEVENDRA KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे राशन कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम कैलाश पिता श्री त्रिलोकचंद (KAILASH S/o. TRILIKACHAND) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुकेश)	**(कैलाश)**
(MUKESH)	(KAILASH)
पिता– देवेन्द्र कुमार	पिता– श्री त्रिलोकचंद
(S/o. DEVENDRA KUMAR)	(S/o. TRILIKACHAND).

(G-1541)

नाम परिवर्तन

मैं, शबनम बी पत्नी श्री अब्दुल साजिद कुरैशी, निवासी–म.नं–40, गली नं.–01, गुरू नानक कॉलोनी, एहले हदीस मस्जिद के पास, भोपाल (म.प्र.). मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा नाम फिरोजा बैगम त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम शबनम बी पत्नी श्री अब्दुल साजिद कुरैशी है. मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तवेजों में मेरा नाम शबनम बी पत्नी श्री अब्दुल साजिद कुरैशी ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम शबनम बी पत्नी श्री अब्दुल साजिद कुरैशी हैं, मेरे सभी प्रकार के शासकीय/अशासकीय अभिलेखों, प्रमाण–पत्रों, पत्राचार एवं दस्तावेजों में इसी नाम को जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(शबनम बी)
पत्नी– श्री अब्दुल साजिद कुरैशी.

(G-1542)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विश्वप्रताप सिंह पिता रामपाल सिंह (VISHVA PRTAP SINGH S/o. RAMPAL SINGH), निवासी– राजपूत मोहल्ला, सेमली खेडा, कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विकल्प राठौर पिता रामपाल सिंह (VIKALP RATHORE S/o. RAMPAL SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम विश्वप्रताप सिंह पिता रामपाल सिंह (VISHVAPRATAP SINGH S/o. RAMPAL SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विकल्प राठौर)	**(विश्वप्रताप सिंह)**
(VIKALP RATHORE)	(VISHVAPRTAP SINGH)
	पिता– रामपाल सिंह
	(S/o. RAMPAL SINGH).

(G-1543)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश प्रसाद सेन पुत्र राम गरीब सेन, निवासी– मकान नं. 16, ग्राम खैरा, पोस्ट बेलहा, जिला सीधी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार में त्रुटिवश राज सेन (RAJ SEN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में शिवेन्द्र सेन (SHIVENDRA SEN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शिवेन्द्र सेन (SHIVENDRA SEN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सुरेश प्रसाद सेन)
पुत्र– राम गरीब सेन.

(G-1544)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मथुरा प्रसाद पिता बाबूलाल (MATHURA PRASAD S/o. BABULAL), निवासी– 28, मंगलवारा रोड, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गिलोंजी पिता बाबूलाल (GILONJI S/o. BABULAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे बैंक पासबुक में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मथुरा प्रसाद पिता बाबूलाल (MATHURA PRASAD S/o. BABULAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गिलोंजी)	**(मथुरा प्रसाद)**
(GILONJI)	(MATHURA PRASAD)
	पिता– बाबूलाल
	(S/o. BABULAL).

(G-1545)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पप्पी बाई (PAPPI BAI) जो कि आधार कार्ड में अंकित है एवं मेरे पुत्र के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सुमित्रा (SUMITRA) दर्ज हो गया है. मेरे सभी शासकीय दस्तावेज में मेरा नाम पप्पी बाई (PAPPI BAI) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नाम पप्पी बाई (PAPPI BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(पप्पी बाई)

पत्नी– श्री लखन मीना

पता– ग्राम म. नं. 5/6, चांदबड़, सेमरा गेट, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1546)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम भैरो सिंह राजपूत (BHAIRO SINGH RAJPOOT), जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम भवर लाल (BHAVAR LAL) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये सही नाम भवर लाल (BHAVAR LAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भैरो सिंह राजपूत)

(BHAIRO SINGH RAJPOOT)

नया नाम

(भवर लाल)

(BHAVAR LAL)

आत्मज– श्री सूरत सिंह

पता– ग्राम बीलखेडी, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1547)

नाम परिवर्तन

मैं, भागीरथ पाटीदार पुत्र श्री बलीराम पाटीदार, निवासी– ग्राम नंदगांव, बगुद, पोस्ट नंदगांव बगुद, तहसील खरगोन, जिला खरगौन (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य पाटीदार (SHOURYA PATIDAR) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम सूर्य पाटीदार (SOORY PATIDAR) अंकित हो गया है. अब मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य पाटीदार (SHOURYA PATIDAR) से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं जन्म प्रमाण पत्रों, अंकसूची दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(G-1548) **(भागीरथ पाटीदार).**

नाम परिवर्तन

मैं, कु. मनीषा जाट पुत्री श्री रामविलाश जाट, निवासी–मकान नं. 15, मलासागोडा, ग्राम मलासागोडा, अजनास, देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम कु. मनीषा जाट (KU. MANISHA JAT) है एवं मेरे पिता का नाम श्री रामविलाश जाट एवं मेरी माता का नाम श्रीमता रूखमणी है. त्रुटिवश मेरी अंकसूचियों एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मनीषा दर्ज हो गया है एवं पिता का नाम रामविलाश एवं माता का नाम रूखमणी जाट दर्ज हो गया है, मैं, अपना नाम अपने पिता का नाम एवं माता का नाम सही कराना चाहती हूँ, जो कि मेरी विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की डिग्री में सही दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा सही नाम कु. मनीषा जाट (KU. MANISHA JAT) मेरे पिता का नाम श्री रामविलाश जाट (SHRI RAMVILASH JAT) एवं मेरी माता का नाम श्रीमती रूखमणी (SMT. RUKHMANI) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(मनीषा)

(MANISHA)

नया नाम

(कु. मनीषा जाट)

(KU. MANISHA JAT).

(G-1549)

नाम परिवर्तन

मैं, अयाज़ खान पिता माजीद अली, निवासी– सी 18, सेमरा कला, सुभाष कालोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में ऐज़ल अयाज़ द्वारा अयाज़ खान व जन्म प्रमाण–पत्र में AIZAL AYAZ D/o. AYAZ KHAN दर्ज है. जिसे परिवर्तित करके मेरी पुत्री का सही नाम आयशा अयाज़ (AYESHA AYAZ) पिता अयाज़ खान (Ayaz Khan) है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. आयशा अयाज़ (AYESHA AYAZ) पिता अयाज़ खान (Ayaz Khan) व ऐज़ल अयाज़ द्वारा अयाज खान, AIZAL AYAZ D/o. AYAZ KHAN उक्त नाम मेरी पुत्री के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को आयशा अयाज़ (AYESHA AYAZ) पिता अयाज़ खान (Ayaz Khan) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(अयाज़ खान)

(G-1550) (Ayaz Khan).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रतीक लोधी, मेरे शासकीय दस्तावेज आधार कार्ड में मेरा नाम प्रतीक लोधी अंकित है, मैंने मेरा नाम परिवर्तन कर प्रदीप लोधी कर लिया गया है. तब से मेरा नाम प्रदीप लोधी पढ़ा एवं माना जावे. ये दोनों ही मेरे स्वयं के यानि एक ही नाम के व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम प्रतीक लोधी के स्थान पर प्रदीप लोधी लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(प्रतीक लोधी)

नया नाम

(प्रदीप लोधी)
पुत्र– बालमुकुंद लोधी
पता– ग्राम रिछावर, तहसील देवरी,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-1551)

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम सिंह लोधी पुत्र श्री कोमल सिंह, मेरे पुत्र के शासकीय दस्तावेजो आधार कार्ड, दस्तावेजो में मेरे पुत्र का नाम शिवपाल लोधी अंकित है, मेरे पुत्र ने अपना नाम परिवर्तन कर अनमोल लोधी कर लिया गया है. तब से मेरे पुत्र का नाम अनमोल लोधी पढ़ा एवं माना जावे. ये दोनों ही मेरे पुत्र के स्वयं के यानि एक ही नाम के व्यक्ति हैं तथा मेरे पुत्र का नाम शिवपाल लोधी के स्थान पर अनमोल लोधी नाम लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शिवपाल लोधी)

नया नाम

(अनमोल लोधी)
घनश्याम सिंह लोधी
पुत्र– श्री कोमल सिंह
निवासी– ग्राम पौनिया, तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-1552)

नाम परिवर्तन

मैं, वतन शुक्ला पुत्र स्व. श्री कमलेश शुक्ला, निवासी–सी.ओ. राजश बोहरे ठाकुर किराना के पास, अहमदनगर, वृंदावन वार्ड, सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम त्रिशा शुक्ला (Trisha Shukla) पुत्री वतन शुक्ला (Vatan Shukla) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम त्रिशा शुक्ला (Trisha Shukla) पुत्री वतन शुक्ला (Vatan Shukla) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1553) **(वतन शुक्ला).**

नाम परिवर्तन

मैं, रविंदर साहनी पति अजय साहनी, निवासी– हाउस नं. एम.आई.जी. 335, अरविन्द विहार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम मेरी पुत्री गीताली साहनी के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश रवीन्द्र (शालू) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रविंदर साहनी (RAVINDER SAHANI) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है. जिसको मैं अपनी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. रविंदर साहनी (RAVINDER SAHANI) व रवीन्द्र (शालू) दोनों नाम एक ही महिला के अर्थात् मेरे स्वयं के ही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रविंदर साहनी (RAVINDER SAHANI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रवीन्द्र (शालू)	**(रविंदर साहनी)**
(G-1554)	(RAVINDER SAHANI).

नाम परिवर्तन

मैं, गोविंद सिंह चौहान पिता रामसिंह चौहान, निवासी– वार्ड क्र.9, ग्राम धानखेड़ी, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का वर्तमान नाम पुर सिंह (POOR SINGH) पिता गोविंद सिंह चौहान है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक, शासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं, भविष्य मेरे पुत्र का नाम उसके सभी शासकीय रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम परिवर्तित कर पीयुष सिंह (PIYUSH SINGH) करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को पीयुष सिंह (PIYUSH SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1555) **(गोविंद सिंह चौहान).**

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम कृष्णलता कानेकर आत्मज श्री घुल्या कानेकर, निवासी– जी 21, डॉक्टर्स क्वार्टर, इंदिरा गाँधी केम्पस, सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, भोपाल (म.प्र.). मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम कृष्णलता कानेकर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कृष्णलता दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां–कहीं भी मेरा नाम कृष्णलता (KRISHNALATA) आत्मज श्री घुल्या कानेकर दर्ज है उसके स्थान पर कृष्णलता कानेकर (KRISHNALATA KANEKAR) आत्मज श्री घुल्या कानेकर के नाम से लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कृष्णलता)	**(कृष्णलता कानेकर)**
(KRISHNALATA)	(KRISHNALATA KANEKAR)
(G-1556)	आत्मज– श्री घुल्या कानेकर.

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री विंदेश्वरी चौहान पुत्री श्री गिरजेश चौहान, निवासी– 216 बी, अंबेडकर नगर, माता मंदिर के पास, न्यू मार्केट, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). उसके जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम विंदेश्वरी चौहान दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड अन्य सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम बेबो चौहान दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां–कहीं भी मेरी पुत्री का नाम बेबो (BEBO) चौहान पुत्री श्री गिरजेश चौहान दर्ज है उसके स्थान पर विंदेश्वरी (VINDESHWARI) चौहान पुत्री श्री गिरजेश चौहान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बेबो) चौहान	**(विंदेश्वरी चौहान)**
(BEBO)	(VINDESHWARI CHAUHAN)
	पुत्री– श्री गिरजेश चौहान.

(G-1557)

नाम परिवर्तन

मैं, अमरदीप सराफ आत्मज श्री अशोक सराफ, निवासी– वार्ड नं. 15, घरौला मोहल्ला, शहडोल, तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल (म.प्र.). मेरे पुत्र जिसका नाम पहले अनन्त सराफ था, को बदलकर अब देवादित्य सराफ किया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी कार्यों में देवादित्य के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अमरदीप सराफ).

(G-1558)

नाम परिवर्तन

मैं, शशिकला अग्रवाल (Shashikala Agrawal) पत्नी श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, निवासी– 433/3, कलानी नगर, नियर श्वेताम्बर जैन मंदिर एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम शशि अग्रवाल (Shashi Agarwal) एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम शशिकला अग्रवाल (Shashikala Agrawal) दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त शशिकला अग्रवाल (Shashikala Agrawal) नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(शशि अग्रवाल)	**(शशिकला अग्रवाल)**
(Shashi Agarwal)	(Shashikala Agrawal).

(G-1559)

नाम परिवर्तन

मैं, SUNIL KUMAR OCHANI S/o. BHAG CHAND OCHANI, निवासी–बी 82, संत कंवरराम कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे सरकारी एवं गैर–सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम SUNU KUMAR OCHANI लिखा है. SUNU KUMAR OCHANI एवं SUNIL KUMAR OCHANI मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पैन कार्ड नंबर एवं आधार कार्ड में अपना नाम SUNU KUMAR OCHANI के नाम के स्थान पर SUNIL KUMAR OCHANI के नाम से ही भविष्य में जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(SUNU KUMAR OCHANI)	**(SUNIL KUMAR OCHANI).**

(G-1560)

नाम परिवर्तन

मैं, गुड्डी बाई (Guddi Bai) पत्नी स्व. श्री कमलेश सिंह, निवासी– 3337, सीता राम कॉलोनी गुना (म.प्र.). मेरा नाम गुड्डी बाई (Guddi Bai) है, जो कि मेरे आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं भविष्य में मेरा नाम सभी अपने शासकीय रिकार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों मे अपना नाम/सरनेम परिवर्तित कर बेबी यादव (Baby Yadav) करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे बेबी यादव (Baby Yadav) के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थिनी

(गुड्डी बाई)

(Guddi Bai).

(G-1561)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप कुमार गर्ग पिता मांगीलाल गर्ग, निवासी– ग्राम पटेला, तह. दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम लवनिश गर्ग (LAVNISH GARG) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम (लक्ष्य गर्ग) (LAX GARG) दर्ज हो गया है. (लवनिश गर्ग) (LAVNISH GARG) और (लक्ष्य गर्ग) (LAX GARG) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम (लक्ष्य गर्ग) (LAX GARG) के स्थान पर सही नाम (लवनिश गर्ग) (LAVNISH GARG) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिलीप कुमार गर्ग).

(G-1562)

नाम परिवर्तन

मैं, उमासंकर कामेश्वरा नरसिम्हा वडरेऊ (UMASANKAR KAMESHWARA NARASIMHA VADREVU) पिता सिवाजी कामेश्वरा वडरेऊ, निवासी– ए 402, बीसीएम प्लेनेट, अपोसिट तुलसी नगर, इन्दौर (म.प्र). मेरा पूर्व नाम उमासंकर कामेश्वरा नरसिम्हा वडरेऊ (UMASANKAR KAMESHWARA NARASIMHA VADREVU) होकर मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है मेरे व्दारा नाम परिवर्तन कर उमाशंकर (UMASHANKAR CHATURVEDI) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे उमाशंकर चतुर्वेदी (UMASHANKAR CHATURVEDI) के नाम से ही जाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(उमासंकर कामेश्वर नरसिम्हा वडरेऊ)

नया नाम

(उमाशंकर चतुर्वेदी).

(G-1563)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सन्नी एककुन्नेल मैथ्यू पिता मुल्लक्कल जॉन मैथ्यू (SUNNY AKAKUNNEL MATHEW S/o. MULLAKKAL JOHN MATHEW), निवासी–फ्लैट नं. 1–2, सागर अपार्टमेंन्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी शासकीय सेवा पंजिका (सर्विस रिकॉर्ड) में मेरा नाम सन्नी ए. मैथ्यू पिता एम.जे. मैथ्यू (SUNNY A. MATHEW S/o. M.J. MATHEW) अंकित है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सन्नी एककुन्नेल मैथ्यू पिता मुल्लक्कल जॉन मैथ्यू (SUNNY AKAKUNNEL MATHEW S/o. MULLAKKAL JOHN MATHEW) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सन्नी एककुन्नेल मैथ्यू पिता मुल्लक्कल जॉन मैथ्यू (SUNNY AKAKUNNEL MATHEW S/o. MULLAKKAL JOHN MATHEW) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सन्नी ए. मैथ्यू)
(SUNNY A. MATHEW)
पिता– एम.जे. मैथ्यू
(S/o. M.J. MATHEW)

नया नाम

(सन्नी एककुन्नेल मैथ्यू)
(SUNNY AKAKUNNEL MATHEW)
पिता– मुल्लक्कल जॉन मैथ्यू
(S/o. MULLAKKAL JOHN MATHEW)

(G-1564)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम मनीष कुमार पुत्र सबोद सिंह (MANEESH KUMAR S/o. SABOD SINGH), निवासी– ग्राम सिरावदा, पोस्ट घटबार, विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनीस पुत्र सबोद (ANEES S/o. SABOD) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम मनीष कुमार पुत्र सबोद सिंह (MANEESH KUMAR S/o. SABOD SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनीस पुत्र सबोद)	**(मनीष कुमार)**
(ANEES S/o. SABOD)	(MANEESH KUMAR)
	पुत्र– सबोद सिंह
	(S/o. SABOD SINGH).

(G-1565)

नाम परिवर्तन

मैं, भुवनेश्वर त्रिपाठी, पिता अनुभुवी त्रिपाठी, निवासी– मकान नंबर 120, किरण नगर फेस–2 नरेला शंकरी निजामुद्दीन अयोध्या बाय पास रोड भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम अनुभुवी त्रिपाठी से बदलकर आराधिता त्रिपाठी कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को आराधिता त्रिपाठी के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भुवनेश्वर त्रिपाठी)

पिता– अनुभुवी त्रिपाठी.

(G-1566)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम प्रिंस परमार पुत्र माधवसिंह (PRINCE PARMAR S/o. MADHAV SINGH), निवासी– भेसा खेड़ी, हीरापुर, बिलकिसागंज, सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनमोल परमार पुत्र माधो सिंह परमार (ANMOL PARMAR S/o. MADHO SINGH PARMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम प्रिंस परमार पुत्र माधवसिंह (PRINCE PARMAR S/o. MADHAVSINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1567) **(माधवसिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम जतीन पाटीदार (JATIN PATIDAR) पिता संजय कुमार पाटीदार है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम श्री राम पाटीदार (SHREE RAM PATIDAR) पिता संजय पाटीदार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसके आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम जतीन पाटीदार (JATIN PATIDAR) पिता संजय कुमार पाटीदार के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(श्री राम पाटीदार)	**(जतीन पाटीदार)**
(SHREE RAM PATIDAR)	(JATIN PATIDAR)
	पिता– संजय कुमार पाटीदार
	निवासी– चौसला कुल्मी,
	तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1568)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम ANVI SHRIVASTAVA D/o. RAKHI SHRIVASTAVA (अन्वि श्रीवास्तव पुत्री राखी श्रीवास्तव), निवासी– वार्ड नं.–12 गोहदी गेट, गोहद भिंड, गोहदी (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम AVNI SHRIVASTAVA D/o. RAM AVATAR SHRIVASTAVA (अवनि श्रीवास्तव पुत्री रामअवतार श्रीवास्तव) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम ANVI SHRIVASTAVA D/o. RAKHI SHRIVASTAVA (अन्वि श्रीवास्तव पुत्री राखी श्रीवास्तव) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(राखी श्रीवास्तव).

(G-1569)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अलउज़्मा पत्नी अज़िजुरहमान (aluzma W/o. aziz ur rehman), निवासी– वार्ड नं. 03, तलेन, पोस्ट तलेन, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अलुजामा बी पुत्री अमान उल्लाह (ALUJAMA BEE D/o. AMAN ULLAH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अलउज़्मा पत्नी अज़िजुरहमान (aluzma W/o. aziz ur rehman) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अलुजामा बी)	**(अलउज़्मा)**
(ALUJAMA BEE)	(aluzma)
पुत्री– अमान उल्लाह	पत्नी– अज़िजुरहमान
(D/o. AMAN ULLAH)	(W/o. aziz ur rehman).

(G-1570)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजू चौहान (RAJU CHOUHAN) पिता मंशाराम है, जो कि मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजेंद्र सिंह (RAJENDRA SINGH) पिता मंशाराम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम राजू चौहान (RAJU CHOUHAN) पिता मंशाराम के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजेन्द्र सिंह)	**(राजू चौहान)**
(RAJENDRA SINGH)	(RAJU CHOUHAN)
	पिता– मंशाराम
	निवासी– 721, स्कीम नं. 71,
	सेक्टर बी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1571)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजेंद्र कुमार रजक पिता श्री भगत सिंह, निवासी– कॉलोनी, टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम काव्या सागर पिता श्री राजेंद्र कुमार सागर (KAVYA SAGAR D/o. RAJENDRA KUMAR SAGAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम करिश्मा रजक पिता श्री राजेंद्र कुमार रजक (KARISHMA RAJAK D/o. RAJENDRA KUMAR RAJAK) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेन्द्र कुमार रजक)

पिता– भगत सिंह.

(G-1572)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हर्षिका जैन (HARSHIKA JAIN) पिता संजय जैन है, जो कि मेरी अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हर्षिता जैन (HARSHITA JAIN) पिता संजय जैन दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजो पर मेरा सही नाम हर्षिका जैन (HARSHIKA JAIN) पिता संजय जैन के नाम से पढ़ा–लिखा, जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजो पर भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हर्षिता जैन)

(HARSHITA JAIN)

नया नाम

(हर्षिका जैन)

(HARSHIKA JAIN)

पिता– संजय जैन

निवासी– म. नं. 04, वार्ड नं. 10,

मारवाडी धर्मशाला के पास मारवाड़ सेरी, शाजापुर,

तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1573)

नाम परिवर्तन

मैं, परसराम यदुवंशी आ. श्री झनका यदुवंशी, निवासी–117/क, सुभाषचंद्र बोस वार्ड नं. 18, सुकारी, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश परसू यदुवंशी आ. श्री झनका यदुवंशी (PARSU YADUWANSHI S/o. JHANKA YADUWANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम परसराम यदुवंशी आ. श्री झनका यदुवंशी (PARSRAM YADUWANSHI S/o. JHANKA YADUWANSHI) है, जो कि मेरे वोटर आई. डी. में दर्ज है. जो कि मैं अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम परसराम यदुवंशी आ. श्री झनका यदुवंशी (PARSRAM YADUWANSHI S/o. JHANKA YADUWANSHI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(परसू यदुवंशी)

(PARSU YADUWANSHI)

नया नाम

(परसराम यदुवंशी)

(PARSRAM YADUWANSHI)

आत्मज– श्री झनका यदुवंशी

(S/o. JHANKA YADUWANSHI).

(G-1574)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश कुमार पिता सुदर्शन, निवासी– 564 जैतपुर, 20 अम्बेडर वार्ड, सिंगरौली गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मुस्कान (Muskan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अंजू वर्मा (ANJU VERMA) पिता राजेश वर्मा (RAJESH VERMA) है, जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 8वीं की अंकसूची में दर्ज है. अंजू वर्मा (ANJU VERMA) पिता राजेश वर्मा (RAJESH VERMA) व मुस्कान (Muskan) दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम अंजू वर्मा (ANJU VERMA) पिता राजेश वर्मा (RAJESH VERMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मुस्कान)
(Muskan)

नया नाम
(अंजू वर्मा)
(ANJU VERMA)
पिता– राजेश वर्मा
(RAJESH VERMA).

(G-1575)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बिस्सू गुर्जर पुत्र श्री जंदेल गुर्जर (Bissu Gurjar S/o. Jandel Gurjar), निवासी–15 खाडी 1, खाडी 1, मगरदेह, विजयपुर, श्योपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रामविशेष गुर्जर पुत्र श्री जंदेल गुर्जर (Ramvishesh Gurjar S/o. Jandel Gurjar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, वोटर आई.डी. दस्तावेजों में भी दर्ज है सही नाम को शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम बिस्सू गुर्जर पुत्र श्री जंदेल गुर्जर (Bissu Gurjar S/o. Jandel Gurjar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामविशेष गुर्जर)
(Ramvishesh Gurjar)

नया नाम
(बिस्सू गुर्जर)
(Bissu Gurjar)
पुत्र– श्री जंदेल गुर्जर
(S/o. Jandel Gurjar).

(G-1576)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लखन गेंदलाल रहांगडाले पुत्र गेंदलाल रहांगडाले, निवासी– वार्ड नं. 03, देवगांव, राजेगांव, किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मयुर लखन राहांगडाले पुत्र लखन गेंदलाल रहांगडाले (MAYUR LAKHAN RAHANGADALE S/o. LAKHAN GENDALAL RAHANGADALE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम रहांगडाले मयुर लखनलाल पुत्र लखन गेंदलाल रहांगडाले (RAHANGDALE MAYUR LAKHANLAL S/o. LAKHANLAL GENDLAL RAHANGDALE) जो कि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम मयुर लखनलाल पुत्र लखन गेंदलाल रहांगडाले (RAHANGDALE MAYUR LAKHANLAL S/o. LAKHANLAL GENDLAL RAHANGDALE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(लखन गेंदलाल रहांगडाले)
(LAKHANLAL GENDLAL RAHANGDALE).

(G-1577)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्री बंटी राठौर पुत्र श्री कालु राठौर, निवासी– कलमोड़ा, तहसील रामा, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम बंटी परमार पुत्र श्री मल्ला परमार (BANTI PARMAR S/o. MALLA PARMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम बंटी राठौर पुत्र कालु राठौर (BUNTY RATHORE S/o. KALU RATHORE) है, जो कि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं वोटर आई.डी. कार्ड, मूल निवासी प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम बंटी राठौर पुत्र कालु राठौर (BUNTY RATHORE S/o. KALU RATHORE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बंटी राठौर)

(BUNTY RATHORE)

पुत्र– कालु राठौर

(S/o. KALU RATHORE).

(G-1578)

नाम परिवर्तन

मैं, कान्हा मीना आत्मज श्री गजराज सिंह मीना, निवासी–ग्राम हिंगोना गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम कान्हा मीना (Kanha Meena) है, आधार कार्ड में मेरा नाम निखिल मीना (Nikhil Meena) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम कान्हा मीना (Kanha Meena) के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम

(निखिल मीना)

(Nikhil Meena)

नया नाम

(कान्हा मीना)

(Kanha Meena).

(G-1579)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र हेतांश हरयानी पिता पुनीत हरयानी (HETANSH HARYANI S/o. PUNIT HARYANI) के नाम से जाना व पहचाना जाता था, जिसे मैंने परिवर्तित कर हार्दिक हरयानी पिता पुनीत हरयानी (HARDIK HARYANI S/o. PUNIT HARYANI) करवाना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से ही जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पुनीत हरयानी).

(G-1580)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश मेवाडा पिता शंकर लाल मेवाडा, निवासी–ग्राम मानपुरा, पोस्ट जानपुर, बावडिया, तहसील जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों के अनुसार उसके आधार कार्ड में नाम परिवर्तन करवाना चाहता हूँ. उसके दस्तावेज में ऋषिका मेवाडा नाम है लेकिन आधार कार्ड में शिवानी नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को ऋषिका मेवाडा के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(सुरेश मेवाडा).

(G-1581)

नाम/ट्रांसजेण्डर परिवर्तन सूचना

मैं, अरनव शर्मा (ARNAV SHARMA) पिता श्री सुरेन्द्र शर्मा (SURENDRA SHARMA), आयु 27 वर्ष, व्यवसाय नौकरी, निवासी– 15, त्रिमूर्ति माताजी कॉलोनी, पीपलीनाका, उज्जैन (म.प्र.) का निवासी हूं. मेरा जन्म दिनांक 05–08–1998 को उज्जैन शहर में हुआ था. जन्म के समय मैं स्त्री था तथा पूर्व में मेरा नाम अंजली शर्मा (ANJALI SHARMA) पुत्री श्री सुरेन्द्र शर्मा था. मेरी व्यस्कता के पश्चात् मैंने दिनांक 16–10–2023 को जैनथ हॉस्पिटल, इंदौर के डॉ. सुमित जायसवाल के माध्यम से अपने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर लिंग परिवर्तित करने की अर्थात् ट्रांसजेण्डर श्रेणी परिवर्तित करवाकर मैंने स्त्री लिंग से पुरुष लिंग की ग्रंथी स्थापित की. सर्जरी के पश्चात् मैं पुरुष बन गया और पुरूष बनने के पश्चात् मैंने अपना नया नाम अरनव शर्मा पिता श्री सुरेन्द्र शर्मा रखा. मुझे वर्तमान में अरनव शर्मा पिता श्री सुरेन्द्र शर्मा के नाम से उल्लेखित किया जाता है, वर्तमान में भी मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. आज दिनांक से सभी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार व अर्द्धशासकीय विभागों एवं बैंक के खाते के संचालन आदि में मेरा नाम अरनव शर्मा पिता श्री सुरेन्द्र शर्मा के नाम का उपयोग किया जाएगा. अतः मेरा सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अरनव शर्मा (ARNAV SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंजली शर्मा)
(ANJALI SHARMA)

नया नाम
(अरनव शर्मा)
(ARNAV SHARMA)
पिता– श्री सुरेन्द्र शर्मा
(SURENDRA SHARMA).

(G-1582)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल बैरागी पिता श्री मुकेश बैरागी, निवासी – ग्राम तालोद, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवम लिखा गया है, जो गलत है, जबकि मेरे विद्यालय, समग्र आई.डी., जाति प्रमाण–पत्र तथा जन्म से ही मेरा नाम अनिल बैरागी है. मुझे अनिल बैरागी पिता श्री मुकेश बैरागी के नाम से जाना व पहचाना जाता है. आज दिनांक से सभी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार व अर्द्धशासकीय विभागों एवं बैंक के खाते के संचालन आदि में मेरा नाम अनिल बैरागी पिता श्री मुकेश बैरागी के नाम का उपयोग किया जाएगा. अतः मेरा सभी शासकीय/अशासकीय व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अनिल बैरागी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शिवम)
(SHIVAM)

नया नाम
(अनिल बैरागी)
(ANIL BAIRAGI).

(G-1583)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम धनेश्वरओंचोली पिता श्री मिश्रीलाल पंचोली (Dhaneshwaroancholi S/o. Mishrilal Pancholi) पता–404, एम.जी. रोड, बडा गणपति मंदिर, इन्दौर (म.प्र.) था. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक खातों व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम धनेश्वर पंचोली पति श्री मिश्रीलाल पंचोली (Dhaneshwar Pancholi S/o. Mishrilal Pancholi) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धनेश्वरओंचोली)
(Dhaneshwaroancholi)

नया नाम
(धनेश्वर पंचोली)
(Dhaneshwar Pancholi).

(G-1584)

नाम परिवर्तन

मैं, छाया धनोतिया (CHHAYA DHANOTIYA) पत्नी श्री आश्रय धनोतिया, मेरा पूर्व का नाम सरला मुजावदिया (SARLA MUJAWDIYA) था, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में छाया धनोतिया पत्नी श्री आश्रय धनोतिया के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम सरला मुजावदिया के स्थान पर छाया धनोतिया लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(सरला मुजावदिया)

नया नाम
(छाया धनोतिया)
पत्नी– श्री आश्रय धनोतिया
पता– 24 ए, अन्नपूर्णा नगर,
पोस्ट– सुधामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1585)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मो. जैद पुत्र फजलखान (Mohd. Zaid S/o. Fazalkhan), निवासी–म. नं. 100, सेक्टर नं. 01, गांधी नगर, हुजूर, गाँधी नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम जैद मोहम्मद (Zaid Mohammed) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक अंकसूची, वोटर आई.डी., ड्राईविंग लाइसेंस व स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मो. जैद पुत्र फजलखान (Mohd. Zaid S/o. Fazalkhan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जैद मोहम्मद)
(Zaid Mohammed)

नया नाम
(मो. ज़ैद)
(Mohd. Zaid)
पुत्र– फजलखान
(S/o. Fazalkhan).

(G-1586)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शेख रईस कुरैशी पुत्र शेख जहूर कुरैशी (Sheike Raish Kureshi S/o. Sheikh Jahoor Kureshi), निवासी– वार्ड नं. 06, नाई बस्ती, शाहगंज, शाहगंज, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रईस कुरैशी पुत्र जहूर कुरैशी (Rais Quraishi S/o. Jahur Quraishi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शेख रईस कुरैशी पुत्र शेख जहूर कुरैशी (Sheike Raish Kureshi S/o. Sheikh Jahoor Kureshi), के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रईस कुरैशी)
(Rais Quraishi)
पुत्र– जहूर कुरैशी
(S/o. Jahur Quraishi)

नया नाम
(शेख रईस कुरैशी)
(Sheike Raish Kureshi)
पुत्र– शेख जहूर कुरैशी
(S/o. Sheikh Jahoor Kureshi).

(G-1587)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अमन राजपूत पुत्र भारत राजपूत (Aman Rajput S/o. Bharat Rajput), निवासी– वार्ड नं. 18, श्याम नगर बेगमगंज, बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अमन राजपूत पुत्र भारत सिंह राजपूत (Aman Rajput S/o. Bharat Singh Rajput) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अमन राजपूत पुत्र भारत राजपूत (Aman Rajput S/o. Bharat Rajput) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अमन राजपूत)	**(अमन राजपूत)**
(Aman Rajput)	(Aman Rajput)
पुत्र– भारत सिंह राजपूत	पुत्र– भारत राजपूत
(S/o. Bharat Singh Rajput)	(S/o. Bharat Rajput).

(G-1588)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मंजू पंचोली पति श्री धनेश्वर पंचोली (Manju Pancholi W/o. Dhaneshwar Pancholi) था वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही व मेरे पति की सर्विस रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मंजुला दाधीच पति धनेश्वर पंचोली (Manjula Dadhich W/o. Dhaneshwar Pancholi) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंजू पंचोली)	**(मंजूला दाधीच)**
	पता– 404, एम.जी. रोड बडा गणपति, मंदिर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1589)

नाम परिवर्तन

विवाह से पूर्व मेरा नाम पारसमणि जैन पुत्री श्री मोतीलाल गंगवाल था. मेरा विवाह श्री प्रदीप जैन से होने के बाद मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती प्रीति जैन पत्नी श्री प्रदीप जैन कर लिया है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती प्रीति जैन पत्नी श्री प्रदीप जैन ही अंकित है. में इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ. मेरा सही नाम श्रीमती प्रीति जैन पत्नी श्री प्रदीप जैन के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदिका
(प्रीति जैन)
पत्नी– श्री प्रदीप जैन
निवासी– वार्ड नंबर 5, आजाद मार्ग,
धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.).

(G-1590)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम नजमुननिशा खान (NAZMUNNISHA KHAN) पिता अब्दुल लतीफ था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम साहेबा खान (SAHEBA KHAN) पिता अब्दुल लतीफ कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम साहेबा खान (SAHEBA KHAN) पिता अब्दुल लतीफ लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नजमुननिशा खान)	**(साहेबा खान)**
(NAZMUNNISHA KHAN)	(SAHEBA KHAN)
	पिता– अब्दुल लतीफ
	पता– 42 डी, स्कीम नं. 71, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1591)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम तुलाराम जादव है. मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश तुलाराम जाटव हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे उसे बुलाराम जादव के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी

(तुलाराम जादव).

(G-1592)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अनिता डावर पिता देवीसिंह डावर पति अनिल किराड़े, निवासी– ग्राम इशाकपुर, खेड़ी, लुन्हेरा बुजुर्ग, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.). अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अनिता किराड़े पिता देवीसिंह डावर पति अनिल किराड़े के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम

(अनिता डावर)

नया नाम

(अनिता किराड़े)

पिता– देवीसिंह डावर

पति– अनिल किराड़े.

(G-1593)

नाम परिवर्तन

मैं, अमीन अब्बासी पुत्र इकबाल हुसैन, निवासी– सदर बाजार, 2/बी, सिकन्द्रबाद एबीसी, इंदौर, पोस्ट आर्मी हेड क्वाटर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद अमीन अब्बासी (Mohammad Ameen Abbasi) एवं मेरी अंकसूची में अमीन हुसैन दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम अमीन अब्बासी (Amin Abbasi) है, जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में एवं मेरी पुत्री के अंकसूची में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अमीन अब्बासी (Amin Abbasi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मोहम्मद अमीन अब्बासी एवं अमीन हुसैन)

नया नाम

(अमीन अब्बासी)

(Amin Abbasi)

पुत्र– इकबाल हुसैन

(Iqbal Hussain).

(G-1594)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम नारायण मेहतर पुत्र राम प्रसाद मेहतर, निवासी– ग्राम ढिलवार, तेंदूखेड़ा सागोनी नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम भारती मेहतर (BHARTI MEHATAR) पुत्री प्रेम नारायण मेहतर (PREM NARAYAN MEHTAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम भारती मेहतर (BHARTI MEHTAR) पुत्री प्रेम नारायण मेहतर (PREM NARAYAN MEHTAR) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम भारती मेहतर (BHARTI MEHTAR) पुत्री प्रेम नारायण मेहतर (PREM NARAYAN MEHTAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1595) **(प्रेम नारायण मेहतर).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कुलदीप कुमार जैन (Kuldeep Kumar Jain) पुत्र श्री सूरज मल जैन (Suraj Mal Jain) है, मेरा यही नाम मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड पर भी लिखा हुआ है. मेरा बचपन का नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र सूरज मल जैन था. यही नाम मेरे राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझ शपथकर्ता का नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सूरज मल जैन के स्थान पर कुलदीप कुमार जैन (Kuldeep Kumar Jain) पुत्र श्री सूरज मल जैन (Suraj Mal Jain) लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(वीरेन्द्र कुमार)

नया नाम

(कुलदीप कुमार जैन)
(Kuldeep Kumar Jain)
पुत्र– श्री सूरज मल जैन
(Suraj Mal Jain)
निवासी– रिलाइन्स पेट्रोल पम्प मोनिका फ्ड,
प्रॉडेक्ट्स, ग्वालियर रोड, डबरा ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1596)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–3 (1) में क्रमांक–5 भोपाल, शुक्रवार दिनांक 31–01–2025 को (G–368) पर श्री रामखिलावन आत्मज श्री मेवालाल, पता– वार्ड नं. 6, पिट के पास न्यूटन चिखली, पोस्ट नं. 11 छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश–480557 के नाम परिवर्तन की सूचना का प्रकाशन किया गया था. जांच उपरांत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला छिन्दवाड़ा का पत्र क्र. जि.चि.छि./2026/489, दिनांक 10–02–2026 के द्वारा पाया गया कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व में ही हो चुकी है. अतः मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–3 (1) में क्रमांक–5 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31–01–2025 को (G–368) पर प्रकाशित नाम परिवर्तन की सूचना को निरस्त एवं शून्य किया जाता है.

उप नियंत्रक
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

(G-1597)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 19 जनवरी 2026

(फार्म– चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अर्न्तगत]

प्र.क्र.–3205–रीडर–1–26.– आवेदक श्री नमन आनंद सेवा न्यास पता–404, गोविन्दम गोपालम आर्पा., लालाराम नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है, के संबंध मे आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र मे प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित् अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा :–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1. श्री नमन आनंद सेवा न्यास पता–404, गोविन्दम गोपालम आर्पा., लालाराम नगर, इन्दौर

2. अचल संपत्ति निरंक :– निरंक/–

3. चल संपत्ति :– 49500/–

आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1598) **प्रदीप सोनी,** पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवरी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

देवरी, दिनांक 3 फरवरी 2026

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 5 (1) व 5(2)]

प्र.क्र.–71–रीडर–1–2026.– आवेदक हरिओम शरण पाण्डेय पिता सुरेश पाण्डेय व 4 अन्य सभी निवासी इमझिरा अध्यक्ष श्री हनुमानजी महाराज बड़ा मंदिर इमझिरा, तहसील देवरी, जिला सागर के पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन लोक न्यास अधिनियम में निहित प्रारुप 3 नियम 4(2) के तहत् इस न्यायालय में किया गया है. उक्त ट्रस्ट की चल–अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है.

उक्त लोक न्यास एवं चल–अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति प्रकाशन से 30 दिवस के अंदर, स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त हो जाने अथवा नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगाः–

1.	न्यास का मुख्यालय	–	श्री हनुमानजी महाराज बड़ा मंदिर, इमझिरा, तहसील देवरी, जिला सागर
2.	कार्यक्षेत्र	–	ग्राम इमझिरा, प.ह.नं. 49 (इमझिरा), तहसील देवरी, जिला सागर.
3.	न्यास का उद्देश्य	–	उक्त हनुमान मंदिर हैं और उक्त हनुमान पर कई वर्षों से भक्तगण पूजा–अर्चना कर रहे हैं, जिससे समस्त भक्तजन को धर्मलाभ प्राप्त हो रहा है उक्त ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य हिन्दू धर्म अनुसार पूजा–प्रार्थना तथा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा समय–समय पर अन्य जो भी धार्मिक कार्य आयोजित कर धर्म प्रभावना का है.
4.	न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति	–	किसी भी न्यासी प्रबंधक अथवा सदस्यों के मृत्यु हो जाने या अवैधानिक कृत्य में संलिप्त पाये जाने या अपने स्वयं की इच्छा अनुसार ट्रस्ट से बाहर होने की दशा में समस्त न्यासीगण बैठक उपरांत प्रस्ताव पास कर परिवर्तन/उत्तराधिकारी के रूप में नाम जोड़ सकेंगे.
5.	न्यास के आय के साधन	–	भक्तगण, दर्शनार्थियों द्वारा प्रदाय की गयीं दान राशि

चल व अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार हैः–

1.	चल संपत्ति	–	एक घंटा पीतल का वजनी एक किलोग्राम, एक झालर पीतल की डेढ़ किलो वजनी, एक गरूण घंटी पीतल की 250 ग्राम, एक शंख, दो मजीरा पीतल के आधा किलोग्राम, एक त्रिशूल लोहे का करीब 2 किलोग्राम, एक गुंड पीतल की 2 किलोग्राम, एक कसेढ़ी पीतल की एक किलोग्राम, एक अभिषेकदानी पीतल की 200 ग्राम, नगदी 2100/– अंकन दो हजार एक सौ रुपये, एक आरती, दीपक हेतु पीतल की 200 ग्राम एक लोहे की पुरानी पेटी, पांच धार्मिक पुस्तके.
2.	अचल संपत्ती	–	हनुमान मंदिर की संपत्ति में भक्तगणों द्वारा दान से जमीन मौजा–इमझिरा स्थित खसरा नंबर– 187/5/2, रकबा 0.320 हे0 भूमि जो कुंजबिहारी पिता सुरेश पाण्डेय, निवासी–इमझिरा के नाम अभिलेख में दर्ज हैं, क्रय की जाना प्रस्तावित की गयी है.
3.	न्यास का उद्देश्य	–	धर्म अनुसार पूजा–प्रार्थना तथा सनातम धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा समय–समय पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर धर्म प्रभावना.
4.	न्यास के आय के साधन	–	प्राप्त दान राशि, एवं क्रय की जाने वाली भूमि से प्राप्त आय.

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय पदमुद्रा से जारी.

(G-1599) **मुनौवर खाँन,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

गौहरगंज, दिनांक 5 फरवरी 2026

प्ररूप क्र. 5

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, गौहरगंज, जिला रायसेन के समक्ष

क्र.–231–रीडर–2026.–यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती हैः

अब, इसलिये, मैं, चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, लोक न्यासों का पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2026 के फरवरी के 05 दिवस पर, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) यथा अपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति था सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह की भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरात प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	–	श्री सर्वेश्वर महोदय मंदिर ट्रस्ट
2. कार्यालय का पता	–	ग्राम खेजड़ी, वार्ड नम्बर 24, नगरपालिका परिषद्, भण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.
3. अचल संपत्ति का विवरण	–	10000 रु (दस हजार रु नगद)
4. चल संपत्ति	–	निरंक

(G-1600) **चन्द्रशेखर श्रीवास्तव,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास, पंजीयक, सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

(प्रारुप–4)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1951 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

रा.प्र.क्र.–003–बी–113–2025–26.– जैसा कि सिद्ध क्षेत्र श्री महाकाली सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर सा. रविशंकर वार्ड सागर द्वारा आवेदक/अध्यक्ष दीनदयाल पिता मनमोहन दीक्षित निवासी रविशंकर वार्ड सागर तहसील व जिला सागर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 के नियम 2 के तहत् एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनो के अंदर अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगाः–

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल सम्पति का विवरण)

1– ट्रस्ट का नाम :	सिद्ध क्षेत्र श्री महाकाली सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर सा. रविशंकर वार्ड सागर, तह. सागर
2– अचल सम्पति :	मूर्तिया, बर्तन उपकरण आदि
3-- चल सम्पति :	निरंक/–रु

(G-1601)

अमन मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि–805–2025.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–401, नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित सरदार पटेल बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., कनावटी, पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 07 जून 2016 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एस एल बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–सी, दिनांक 28 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित सरदार पटेल बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., कनावटी, पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 07 जून, 2016 का रजिस्ट्रीकरण रदद् करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-1602)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि–806–2025.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2018–398, नीमच, दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा परिसमापित श्रीनाथ स्टील वुडन फर्नीचर सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 07 जुलाई 2007 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशों के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6–1–99–पन्द्रह–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियाँ, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्रीनाथ स्टील वुडन फर्नीचर सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन, क्रमांक 23, दिनांक 07 जुलाई 2007 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-1603)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि–807–2025.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2020–176, नीमच, दिनांक 02 मार्च 2020 के द्वारा परिसमापित प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुरा, पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 07 अगस्त 1991 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्यो का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 5–1–99 पन्द्रह–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुरा, पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 07 अगस्त, 1991 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किर्या गया है.

(G-1604)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

प्र.क्र.–परि–808–2025.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–478, नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरखेडा, पंजीयन क्रमांक 202, दिनांक 20 अक्टूबर 2024 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरखेडा, पंजीयन क्रमांक 202, दिनांक 20 अक्टूबर 2024 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1605)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–809–2025.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2020–176, नीमच, दिनांक 02 मार्च 2020 के द्वारा परिसमापित प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहुरिया चन्द्रावत, पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 05 अगस्त 1991 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहुरिया चन्द्रावत, पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 05 अगस्त 1991 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1606)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–810.–इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–479–नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसलवास बामनिया, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 23 मार्च 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एस एल बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया, जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसलवास बामनिया, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 23 मार्च 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1607)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–811.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2019–794–नीमच, दिनांक 26 नवम्बर 2019 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोलपुरा, पंजीयन क्रमांक 300, दिनांक 06 जुलाई 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा वरिष्ठ, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी–दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोलपुरा, पंजीयन क्रमांक 300, दिनांक 06 जुलाई 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1608)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–812.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2021–183–नीमच, दिनांक 23 फरवरी 2021 के द्वारा परिसमापित केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 01 मार्च 1997 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर के हरित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 01 मार्च, 1997 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1609)

नीमच, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

प्र.क्र.–परि–918–2025.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–399–नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित श्री कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 01 सितम्बर 2012 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करनें के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सौसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित श्री कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 01 सितम्बर 2012 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1610)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–919.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–403–नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित सांवलिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमलीखेडा, पंजीयन क्रमांक 238, दिनांक 10 मार्च 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्यों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 नवम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित सांवलिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमलीखेडा, पंजीयन क्रमांक 238, दिनांक 10 मार्च .2015 का रजिस्ट्रीक्रण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1611)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–919.–इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–416–नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित मां बीसभुजा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 10 मार्च 2017 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित मां बीसभुजा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 10 मार्च 2017 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी गया हैं.

(G-1612) **सजू डावर,** सहायक पंजीयक.

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–919.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–403–नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित सांवलिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमलीखेडा, पंजीयन क्रमांक 238, दिनांक 10 मार्च 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्यों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 नवम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित सांवलिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमलीखेडा, पंजीयन क्रमांक 238, दिनांक 10 मार्च .2015 का रजिस्ट्रीक्रण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1611)

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–919.–इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–416–नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित मां बीसभुजा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 10 मार्च 2017 का परिसमापन किये जाने हेतु सुश्री रितु पटेल उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित मां बीसभुजा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 10 मार्च 2017 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी गया हैं.

(G-1612) **राजू डावर,** सहायक पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026—माघ 1, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.